www.emanjari.com

अंक – 20 वर्ष – 2022

मंजरी

स्त्री के मन की

अंतर्द्वंद्व

होइहे सोई जो पुरुष रचि राखा

(मैरिटल रेप पर विशेष अंक)

Sulabh Sanitation Movement

Sulabh International
Social Service Organisation

चित्र: अनुप्रिया

उनकी माँगों को
जिन्होंने सिंदूर दिए
उनकी वक्त बेवक्त उठती माँगों को
थके हारे रूठे झूठे टूटे मन से
वे भला कैसे न पूरी करती?
दिन में खटती
रात में मरती
वे सारी की सारी थकीहारी
कर्तव्य की वेदी पर बलिहारी
एक चुटकी सिंदूर की कीमत
बखूबी जानती है!

–सुजाता गुप्ता

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली सुजाता गुप्ता ने लगभग 20 वर्षों तक अध्यापन कार्य करने के साथ कई प्राईमरी स्तर की किताबें लिखीं तथा स्कूल में कल्चरल और एकेडेमिक कारडिनेटर के तौर पर कार्यरत रहीं। बीते दो सालों से स्वतंत्र लेखन एवं अनुवाद कर रही हैं। इनके दो साझा काव्य संकलन हैं 'मेरे दस्तखत' एवं 'साहित्यनामा'। एक अन्य काव्य संकलन 'आगार' की प्रतीक्षा है।

संकल्पना

इक्विटी फाउंडेशन लंबे अरसे से एक वेब पत्रिका शुरू करने के बारे में सोच रहा था। मकसद था महिला और समाज के मुद्दों को शिद्दत से उठाना। जब हमने चीजों को एक साथ कर उसे पत्रिका के रूप में सजाने के बारे में सोचना शुरू किया तो इस क्रम में कई लोगों से जुड़े। हमने महिलाओं को पत्रिका से जोड़ने की कोशिश की। हम दोस्तों से मिले और परिचितों से बात की। महिलाओं के सामाजिक समूहों और शिक्षाविदों के एक साथ जुड़ने के बाद जो स्वरूप सामने आया वह है 'मंजरी'।

मंजरी यानी कोंपल। शाखों में फूटने वाली नन्ही पत्तियां। नई शाखों का सृजन करने वाले इन कोंपल को कुम्हलाने से बचाना जरूरी है नहीं तो पूरे पेड़ का विस्तार कुंद हो जाएगा। ठीक उसी तरह स्त्री के मन की मंजरी को सहेजने की जरूरत है वरना पेड़रूपी समाज विकृति का शिकार हो जाएगा। हमारा प्रयास इसी मंजरी को पुष्पित पल्लिवत करने का है जो औरत की सोच और उसकी कोशिश को सही दिशा प्रदान कर सके।

मंजरी के सृजन के दौरान पहले तो 10–30 लोगों का एक ढीला–ढाला समूह बना। विचार आते गए। अलग–अलग विषयों और मुद्दों पर। समूह में कुछ अनमनी महिलाएं थीं तो कुछ सहानुभूति दिखाने वाले पुरुष भी। कुछ महज एक या दो बैठकों में शामिल हुए तो कुछ जब मन में आया, आ गए। बाकी बचे लोगों ने 'मंजरी' को मुकाम पर ले जाने का दायित्व अपने कंधों पर लिया। 'मंजरी' का लक्ष्य एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना है जहां बुद्धिजीवियों को उनकी खुराक मिले तो शोधकर्ताओं की जिज्ञासा शांत हो। क्रियान्वयन के लिए बहस और तर्क के रास्ते हमेशा खुले रहें। इक्विटी की लगातार कोशिश रही है शोध और क्रियान्वयन के बीच की दूरी को पाटना। ऐसे में हमारा मानना है कि शोध तब तक अप्रासंगिक हैं जब तक कि इनका लोगों की जिंदगी और उनके क्रियाकलापों से जुड़ाव न हो। ठीक इसी तरह सिविल सोसायटी के तौर पर अगर हम जमीनी सच्चाई से वाकिफ न रहें, जिनमें सामाजिक प्रक्रियाएं और ऐतिहासिक मूल्यों का समावेश है और जो समाज में रहने वाले लोगों के मूल्यों और उनके चरित्र को आकार देते हैं, तो किसी भी कोशिश का कोई मतलब नहीं रहता है।

'मंजरी' एक उद्यम है, क्रियाशीलता को शोध आधारित रचना और आलोचना के नजरिये से देखने का जो महिला अधिकारों के साथ–साथ जीवन के हर पलू को इंगित करे। नियमित गैर सरकारी संगठनों और अकादमिक तंत्रों से इतर 'मंजरी' राजनीति और आदर्शवादिता को लांघ कर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधारों को सांस्कृतिक संवे. दनशीलता के आधार पर मापती है। 'मंजरी' उन तमाम कार्यकर्ताओं, विद्वानों, शिक्षाविदों, पत्रकारों, प्रोफेशनल, गृहणियों और नीति निर्धारकों द्वारा पढ़ी जाएगी जो किसी समस्या के लिए समाधान आधारित नवीन दृष्टि और पृथक सोच रखते हैं। यह पत्रिका अपने पाठकों को जेंडर आधारित मुद्दों को जैविक और सामाजिक आधार पर परखने की छूट देती है। व्यक्ति और समाज की विचारधारा में जेंडर को लेकर क्या बदलाव आये और उनका क्या असर हुआ, इसकी पूरी पड़ताल करने की आजादी लोगों को होगी। यह पत्रिका एक कोशिश है पड़ताल की प्रवृत्ति को जगाने की ताकि लोग तेजी से बदलते और विविधताओं से भरे समाज में पूरी क्षमता से काम करने को तैयार हो सकें जिसमें महिलाओं के प्रति भेदभाव भी एक अहम मुद्दा होगा। महिला समानता और अधिकारों पर 'मंजरी' के दखल से उन बेशुमार कार्यकर्ताओं, संगठनों और विद्वजनों को फायदा होगा जो दहेज, यौन प्रताड़ना, महिला अधिकारों, महिला आरक्षण, आर्थिक सुधार और अल्पसंख्यक समुदायों के निजी कानूनों में रुचि रखते हैं।

पत्रिका का मकसद

इक्विटी फांडेशन खुद को सुविधाविहीन महिलाओं को उनकी पूर्ण क्षमता से अवगत कराने और समाज में उनके क्रियाशील प्रभुत्व को स्थापित कराने की दिशा में वाहक के तौर पर देखता है। देश के विकास के हर क्षेत्र में महिलाओं की समान भागीदारी की राष्ट्रीय नीति तभी सफल हो पाएगी जब महिलाओं की भूमिका और उनके योगदान को कमतर आंकने वाले संस्थान और विचारों को हतोत्साति किया जाये या उनका पूरी तरह सफाया किया जाय। 'मंजरी' की परिकल्पना समाज और अर्थव्यवस्था में महिलाओं के जीवन और उनके स्तर को प्रभावित करने वाले विचारों के निर्माण, विकास और उनके प्रसार के लिए की गई है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के परिप्रेक्ष्य में समानता संबंधी मुद्दों को इस प्रकार समग्र रूप में देखने की जरूरत है जो असमानता की अंतरवर्गीय विशेषताओं को जाहिर कर सके। समानता पर आधारित 'मंजरी' के ज्यादातर आलेख भिन्न–भिन्न समूहों को निशाने पर रखते हैं जो कुछ हद तक बेद जरूरी भी है। इसलिए यह पत्रिका कुछ समूहों के कुछ विशेषाधिकारों के पूर्ण निष्कासन और अंतरवर्गीय दृष्टिकोणों के स्थापन के बीच नियंत्रक की भूमिका में होगी जो नीति निर्धारण और योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान असमानता को उसके तमाम स्वरूपों के साथ सामने रखने में कारगर होगी। ऐसे में इसका मकसद लैंगिक भेदभाव के निर्मूलन की ओर वह विवेचनात्मक चर्चा छेड़ने का है जो वर्तमान परिदृश्य में शोधों का एजेंडा तय कर सके और एक बेहतर वैकल्पिक प्रस्ताव का सृजन कर सके। अब तक यह संगठन कार्यशाला, कांफ्रेंस और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के जरिये अपनी प्रतिबद्धता दर्शाता रहा है लेकिन अब इस पत्रिका के माध्यम से यह क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अतिथि लेखकों, जिनमें विद्वजन, अधिवक्ता, सरकार, पत्रकार, फिल्म निर्माता, कवि और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, को जोड़ने की कोशिश कर रहा है।

हमारी बात

संपादकीय

संरक्षण

पद्मश्री डा. उषा किरण खान
प्रख्यात लेखिका एवं साहित्यकार

मणिकांत ठाकुर
प्रख्यात पत्रकार

प्रो. भारती एस. कुमार
प्रोफेसर (सेवा.) इतिहास, पटना विवि

डा. रेणु रंजन
प्रोफेसर (सेवा.), समाज शास्त्र
पटना विवि

परामर्श

मनीष कुमार
ब्यूरो चीफ, एन.डी.टी.वी. बिहार

डा. शरद कुमारी
सचिव, बिहार महिला समाज

अंजिता सिन्हा
पत्रकार

डा. मधुरिमा राज
कंसल्टेंट डीएमआई, एवं
स्वतंत्र लेखिका

सुजाता गुप्ता
लेखिका, कवयित्री एवं
अनुवादक

इन दिनों देश में मैरिटल रेप चर्चाओं में है। रेप को जहां बड़ा अपराध माना जाता है, वहीं मैरिटल रेप को अभी अपराध की श्रेणी में रखने या न रखने को लेकर बहस हो रही है। दुनिया भर में केवल 32 देश अभी भी वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं मानते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत भी इन देशों की फेहरिस्त में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के आंकड़ों के अनुसार, 185 में से 77 (42%) देश क़ानून के माध्यम से वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानते हैं। अन्य देशों में इसका या तो उल्लेख नहीं किया गया है या स्पष्ट रूप से बलात्कार को कानूनों के दायरे से बाहर रखा गया है, दोनों ही यौन हिंसा का कारण बन सकते हैं।

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (IPC) में वैवाहिक बलात्कार को प्रदान किये गए अपवाद को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक विभाजित निर्णय दिया।

- विभाजित निर्णय के मामले में सुनवाई एक बड़ी पीठ द्वारा की जाती है।
- जिस बड़ी पीठ द्वारा विभाजित निर्णय दिया जाता है, उसके संबंध में सुनवाई उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जा सकती है या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की जा सकती है।

भारत में 'वैवाहिक बलात्कार' यानी मैरिटल रेप क़ानून की नज़र में अपराध नहीं है। यानी अगर पति अपनी पत्नी की मर्ज़ी के बगैर उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे अपराध नहीं माना जाता। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में मैरिटल रेप को 'अपराध करार देने के लिए' दायर की गई याचिका के खिलाफ़ कहा कि इससे 'विवाह की संस्था अस्थिर' हो सकती है।

क्या है मैरिटल रेप?

आईपीसी या भारतीय दंड विधान रेप की परिभाषा तो तय करता है लेकिन उसमें वैवाहिक बलात्कार या मैरिटल रेप का कोई जिक्र नहीं है। धारा 376 रेप के लिए सजा का प्रावधान करता है और आईपीसी की इस धारा के तहत पत्नी से रेप करने वाले पति के लिए सजा का प्रावधान है, बशर्ते पत्नी 12 साल से कम की हो। इसमें कहा गया है कि 12 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ पति अगर बलात्कार करता है तो उस पर जुर्माना या उसे दो साल तक की क़ैद या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। 375 और 376 के प्रावधानों से ये समझा जा सकता है कि सेक्स करने के लिए सहमति देने की उम्र तो 16 है लेकिन 12 साल से बड़ी उम्र की पत्नी की सहमति या असहमति का कोई मूल्य नहीं है।

हालांकि कुछ अन्य विधिक प्रावधान हैं, जिनमें पत्नियों के साथ हो रहे शारीरिक यौन शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है जो निम्नलिखित है, जैसे–

1. आईपीसी धारा 498– पत्नी पति के विरुद्ध क्रूरता जिसमें यौन शोषण भी शामिल है, उसके आधार पर परिवाद दाखिल करवा सकती है।
2. आईपीसी धारा 354– के अधीन लज्जा भंग का परिवाद कर सकती है। (निमेष भाई भारत भाई देसाई बनाम गुजरात राज्य, 2018)
3. आईपीसी धारा 377– प्रकृति विरुद्ध किए गए कृत्य के लिए पीड़ित पत्नी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। (दिलीप पांडे व अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य)
4. आईपीसी धारा 376– पत्नी जो अपने पति से अलग रह रही हैं चाहे सेपरशन की डिक्री के

हमारी बात

मुख्य संपादक

नीना श्रीवास्तव

संपादक

दीपिका झा

शोध

नीना श्रीवास्तव
दीपिका झा

आवरण चित्र

वरिष्ठ अतिथि कलाकार
अनु प्रिया

लोगो डिजाइन

दीया भारद्वाज

प्रबंधन/व्यवस्था

राहुल कुमार

प्रकाशन

इक्विटी फाउंडेशन

संपर्क

इक्विटी फाउंडेशन
123 ए, पाटलीपुत्र कॉलोनी
पटना, 13
फोन : 0612.2270171

ई–मेल
equityasia@gmail.com
वेबसाइट
www.emanjari.com

© इक्विटी फाउंडेशन

अंतर्गत या अन्यथा, उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बलात्कार है तथा इसमें 2 से 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

5. व्यक्तिगत क़ानून (personal Law acts) के अधीन– लैंगिक क्रूरता के आधार पर पत्नी पति से तलाक़ ले सकती है।

6. घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम– यौन दुर्व्यवहार के आधार पर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेटिशन फाइल कर सकती है, परंतु पति को प्रोटेक्शन ऑर्डर के उल्लंघन पर ही सजा होगी। उपरोक्त प्रावधानों की तर्ज पर ही विधायिका मैरिटल रेप जैसे कृत्य को अपराध बनाने से स्वयं को रोकती आ रही है। पत्नियां अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार को इन प्रावधानों में चुनौती दे सकती हैं परंतु आईपीसी की धारा 375 में नहीं।

जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में मैरिटल रेप को अपराध बनाने की अनुशंसा की गई थी कि इस क़ानून की समाप्ति से महिलाएं उत्पीड़क पतियों से सुरक्षित होंगी, वैवाहिक बलात्कार से उबरने के लिये आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकेंगी और घरेलू हिंसा एवं यौन शोषण से स्वयं की रक्षा में सक्षम होंगी। साथ ही यह कोई नया अपराध नहीं होगा, मात्र इसके अपवाद 2 में संशोधन करना होगा, जिससे इसमें पत्नी को भी समाहित किया जा सकेगा। इसके चलते सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा– इसका विवाह संस्था पर विघटनकारी प्रभाव पड़ेगा और निजता के अधिकार का भी उल्लंघन होगा। इसका क़ानूनी प्रावधानों जैसे धारा 498 और घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, की भांति ही दुरुपयोग होगा।

न्यायपालिका का पक्ष– कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि यदि पति के रूप में किसी भी पुरुष को धारा 375 में राहत दे दी जाये तो यह उस महिला के गरिमापूर्ण जीवन जीने (अनुच्छेद 21) और समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) का उल्लंघन होगा। और धारा 375 का अपवाद 2 इन मूल अधिकारों की परिधि पर खरा नहीं उतरता है। इन असमानताओं पर काबू पाना विधायिका का कार्य है क्योंकि पतियों की ऐसी हरकतों से पत्नियों की आत्मा आहत होती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अपना विभाजित फ़ैसला देते हुए कहा कि जहां तक पति का सहमति के बिना पत्नी के साथ संभोग का प्रश्न है, यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए (जस्टिस राजीव शकधर)। हालांकि, जस्टिस सी. हरि शंकर ने कहा कि धारा 375 का अपवाद 2 संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। यह विवेकपूर्ण अंतर और उचित वर्गीकरण पर आधारित है। स्पष्ट है कि आगे की राह सुप्रीम कोर्ट के उचित दिशा–निर्देशों के प्रकाश में और निर्णय के आधार पर ही तय की जायेगी।

भारत वर्तमान युग तक अपनी संस्कृति की रक्षा और उसके अभ्यास में, अपना स्थान शीर्ष पर रखता है। हालांकि भारतीय संस्कृति में पति की इच्छा के तहत एक विवाहित महिला का स्थान है, लेकिन वहीं दूसरी ओर, यही भारतीय संस्कृति महिलाओं की गरिमा और उनमें शामिल सभी आवश्यक मुद्दों में उनकी सहमति के सम्मान में अपनी आवाज देती है। विवाह में न केवल पुरुष शामिल होते हैं बल्कि धार्मिक समारोह "विवाह" को संतुलित करने के लिए दूसरी तरफ महिलाएं भी शामिल होती हैं। तो, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत वैवाहिक बलात्कार को एक अपराध के रूप में मान्यता तो देता है, लेकिन एक उचित क़ानून बनाने और अपराध को संहिताबद्ध करने से इंकार करता है।

Nsrivastava

नीना श्रीवास्तव

(स्रोतः द हिन्दू, नव भारत टाइम्स, साक्षी गुप्ता, आई प्लीडर)

थीम पेपर

मैरिटल रेप का अपराधीकरण: एक अपवाद कब एक अपवाद नहीं है?

बलात्कार के कानून को मानक तौर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत इस प्रकार परिभाषित किया गया है, ''किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना किया गया यौन व्यवहार।'' इसलिए यदि अपराध का एक मानक तत्व 'सहमति' का अभाव है, तो सहमति को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, ''स्पष्ट रूप से किया गया एक स्वैच्छिक समझौता जिसमें महिला बोलकर, अपने हाव–भाव से या मौखिक अथवा अमौखिक संवाद के द्वारा किसी खास यौन क्रिया में संलिप्त होने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करती है।'' इस मानदंड में, एक अपवाद है जिसे आम तौर पर ''मैरिटल रेप अपवाद'' के तौर पर जाना जाता है:
''अपवाद 2 – यदि पत्नी की उम्र 15 वर्ष से कम न हो तो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग या यौन क्रिया करना, बलात्कार नहीं है।''

इंदिरा जयसिंह

(लेखिका देश की जानी–मानी अधिवक्ता हैं जिन्हें मानवाधिकार से जुड़े मामलों की मुखर वकालत करने के लिए जाना जाता है। 2018 में दुनिया की 50 सबसे महान नेताओं की सूची में उन्हें 20वां स्थान प्राप्त था।)

विवाह का विचार

फिर दो व्यक्तियों के बीच प्रत्येक यौन क्रिया के लिए सहमति के मानदंड के अपवाद का उद्देश्य क्या है?

परंपरागत रूप से, उद्देश्य यह बताया गया है कि विवाह के समय एक महिला द्वारा अपने पति के साथ यौन क्रियाओं के लिए निहित सहमति दी जाती है। कुछ समय के लिए मान लें कि ऐसी निहित सहमति है। सवाल यह है कि आखिर पत्नी अपने पति से शादी के समय निश्चित तौर पर किस बात के लिए राजी होती है।

उल्लेखनीय है कि हमारे लगभग सभी कानूनों में विवाह के विचार को लेकर कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। हमारे कानून हमें बताते हैं कि किसी विवाह बंधन में कैसे प्रवेश करना है और उससे कैसे बाहर आना है। लेकिन विवाह के निर्वाह के दौरान क्या होता है, इसपर कानून पूरी तरह मौन है।

ऐसे में एक समतावादी समाज को यह समझना होगा कि विवाह विश्वास, प्रेम, भरोसे, दोस्ती, देखभाल और साझेदारी पर आधारित एक अनुबंध है। इसमें कोई शक नहीं कि शादी के लिए मौजूद दोनों पक्षों के बीच यौन संबंध शामिल होता है। हमें स्वीकार करना चाहिए कि संभोग इसमें शामिल दोनों पक्षों के लिए आनंद का एक स्रोत भी है। अब यदि हम विवाह अनुबंध को इस तरह से देखते हैं जिसमें एक महिला ने संभोग के लिए निहित सहमति दी है, तो सवाल यह है कि हम धारा 375 के अपवाद 2 को कैसे समझते हैं?

अपवाद का अपवाद

निहित सहमति यौन शोषण के लिए सहमति की अनुपस्थिति के साथ असंगत नहीं है। न ही ऐसा कोई कानून है जो किसी महिला को दी गई परिस्थितियों में निहित सहमति को वापस लेने से रोकता है। इस बिंदु से देखा जाए तो कर्नाटक उच्च न्यायालय के हालिया फैसले को अपवाद की क्रांतिकारी व्याख्या कहा जा सकता है जो अपमानजनक शादी में फंसी महिला, जिसमें दुर्व्यवहार का मुख्य रूप यौन शोषण है, को राहत देते हुए अपवाद को अपवाद बनाता है। क्योंकि अंततः एक पत्नी, एक ऐसी बंदी की स्थिति में होती है जो अपने दुराचारी के साथ एक छत साझा करती है।

इस मामले में जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने तीखे तरीके से सवाल उठाया था कि क्या पत्नी क्रूरता के साथ सेक्स करने के लिए सहमति देती है? और जवाब है एक बड़ा 'ना'। एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है, तो अपवाद समाप्त हो जाता है और बलात्कार फिर बलात्कार हो जाता है, चाहे उसे कोई भी नाम दिया जाए।

इस व्याख्या के कुछ संकेत आईपीसी की धारा 376बी में पाए जा सकते हैं:

376बी– अलग होने के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी से यौन संबंध बनाना– यदि कोई व्यक्ति अपनी अलग रह रही पत्नी के साथ, उसकी सहमति के बिना, यौन संबंध रखता है, चाहे वह अलगाव की डिक्री के तहत अलग हुई हो या अन्यथा, तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो दो साल से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

व्याख्या– इस खंड में, ''यौन संभोग'' का अर्थ धारा 375 के खंड (ए) से (डी) में वर्णित किसी भी कार्य से होगा।

यह खंड अपने आप में धारा 375 के अपवाद 2 का स्पष्ट अपवाद है, जिसमें साफ तौर पर इस बात का संकेत दिया गया है कि यदि एक पत्नी डिक्री के द्वारा या अन्यथा अपने पति से अलग रह रही है, और उसका पति उसकी सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाता है तो वह अपने पति पर बलात्कार का मामला दर्ज करा सकती है। तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जब विवाह संबंध के भीतर सेक्स की बात आती है तो सहमति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इस सीमा तक कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश ऐतिहासिक है।

मानी गई सहमति को वापस लेना

मामले के तथ्य पूरी तरह प्रासंगिक हैं। पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि विवाह के दिन से ही उसके पति ने उसे अपना सेक्स गुलाम बना कर रखा था। उसका पति उसे पोर्न फिल्में दिखाकर उसे अपने साथ अप्राकृतिक सेक्स करने के लिए विवश करता था, उस पर दबाव डालता था। पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति ने उसकी बेटी का भी यौन उत्पीड़न किया था। इस शिकायत को आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), 498ए (एक महिला पर उसके पति या पति के रिश्तेदार के द्वारा क्रूरता), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा) और 377 (अप्राकृतिक अपराध) तथा आईपीसी की धारा 10 (गंभीर यौन हमले के लिए सजा) के तहत यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, के तहत अपराधों के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में बदल दिया गया था।

निचली अदालत ने आरोप तय करते समय आरोपी पति पर अन्य आरोपों के साथ–साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत भी आरोप लगाए। जिन धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गई थी, उनमें से एक धारा 498ए थी, जो एक पति द्वारा अपनी पत्नी के खिलाफ क्रूरता के अपराध के लिए है। निश्चित रूप से, एक महिला जो अपने पति के खिलाफ क्रूरता का आरोप लगाती है, उसके बारे में माना जाना चाहिए कि उसने अपनी सहमति वापस ले ली है।

यह देखते हुए कि सभी तथ्य बलात्कार का स्पष्ट संकेत देते हैं, जज ने निष्कर्ष निकाला:

''29. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह निवेदन कि पति अपने किसी भी कार्य के लिए विवाह संस्था द्वारा संरक्षित है, जैसा कि एक आम आदमी द्वारा किया जाता है, फिर से बिना चेहरे का है, और ऐसा इसलिए है कि विवाह संस्था किसी विशेष पुरुष विशेषाधिकार को या उसे क्रूर जानवर जैसा व्यवहार करने का लाइसेंस प्रदान नहीं करती है, प्रदान नहीं कर सकती है और मेरे विचार में उसकी इस अर्थ में व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। यदि यह एक पुरुष के लिए दंडनीय है, तो यह एक पुरुष के लिए दंडनीय होना चाहिए, भले ही वह पुरुष पति हो।

30. शिकायत की सामग्री में याचिकाकर्ता के क्रूर कृत्यों को लेकर पत्नी की सहनशीलता का विस्फोट है। यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी के फटने के समान है। शिकायत में वर्णित तथ्यों के आधार पर, मेरे विचार से, विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेने और इस आशय का आरोप तय करने में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।''

इसलिए यहां घोषित कानून का तात्पर्य यह होना चाहिए कि एक पत्नी पति द्वारा क्रूरता के साथ सेक्स करने की 'निहित सहमति' नहीं देती है।

तो क्या अब हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि छूट कब एक छूट नहीं है? हाँ। इसके लिए, हमें अदालत की उन टिप्पणियों का उल्लेख करना चाहिए, जिन्हें यहाँ प्रस्तुत किया गया है:

''31. इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में इस तरह के दुर्व्यवहार/बलात्कार करने पर पति को दी गई छूट पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि कानून में कोई भी छूट इतनी निरपेक्ष नहीं हो सकती कि वह समाज के खिलाफ अपराध करने का लाइसेंस बन जाए। ...''

न्यायाधीश ने इस बात पर ध्यान आकृष्ट कराया कि इस छूट को समाप्त करने का काम न्यायपालिका नहीं कर सकती है, बल्कि यह विधायिका का काम है।

इस फैसले का अर्थ यह निकाला जा सकता है कि जब सेक्स क्रूरता में बदल जाता है, तब शादी में सेक्स के लिए तथाकथित सहमति, जिसे छूट का आधार बनाया जाता है, वापस ले ली जाती है। संभोग के लिए सहमति एक बात है; क्रूर संभोग के लिए सहमति दूसरी बात है और कोई भी पत्नी कभी भी क्रूर यौन संबंध के लिए सहमति नहीं देती है।

निश्चय ही, विधायिका के लिए वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने का समय आ गया है, ऐसा न करने पर न्यायालयों को ऐसा करना पड़ेगा।

(प्रस्तुत आलेख https://theleaflet.in में पूर्व प्रकाशित आलेख का अनुवादित अंश है)

अनुक्रमणिका

संकल्पना –

हमारी बात : संपादकीय –

थीम पेपरः मैरिटल रेप का अपराधीकरणः एक अपवाद कब एक अपवाद नहीं है? –

–इंदिरा जयसिंह

आंखों–देखीः न सम्मान, न पहचान वजूद तलाशतीं औरतें 1

–नीना श्रीवास्तव

अध्ययनः भारत में वैवाहिक बलात्कार और हिंसा 4

–राजलक्ष्मी

सर्वेः 66 प्रतिशत पुरुषों ने कहा– पत्नी कर सकती है इंकार 7

अनुत्तरितः स्त्री के कंधों पर ही नैतिकता की जिम्मेदारी! आखिर क्यों? 8

–निवेदिता

असल बातः ये चुप्पी कहीं नासूर न बन जाए 10

–दीपिका झा

देश–विदेशः अपराध घोषित, फिर भी आसान नहीं मुकदमा 12

–मीरा पटेल

हकीकतः ये कहानी नहीं है 14

–सरिता निर्झरा

न्याय की आसः कटघरे में इंतजार करती दैहिक स्वतंत्रता 16

–स्वाति शैवाल

गरिमा का सवालः ''सुनना होगा इन 'चुप्पियों' को'' 18

–मानसी

विचारः वैवाहिक बलात्कार : कानून के तर्क–वितर्क 20

–अभिनव नारायण झा

दास्तानः ''मेरी नानी का मैरिटल रेप'' 22

–तन्वी

अफसोसः न परिवार साथ आता है, न पुलिस 23

विरोधः आखिर विरोध में क्यों उतरे पुरुष संगठन 24

तमाशाः औरत किसी की अमानत नहीं 25

–अनीता भारद्वाज

अनु प्रिया

कलाकार, लेखिका

सुपौल बिहार में जन्मी अनु प्रिया जी के साठ से अधिक किताबों के आवरण एवं पत्र–पत्रिकाओं में रेखाचित्र प्रकाशित हो चुके हैं। साहित्य अकादमी, राजकमल प्रकाशन, वाणी प्रकाशन, अल्टरनोट प्रकाशन, अगोर प्रकाशन, प्रकाशन विभाग आदि से किताबों के आवरण पर निरंतर इनके द्वारा बनाये गए चित्र का प्रकाशन होता रहता है। अनु प्रिया जी एक बहुत ही संवेदनशील कलाकार हैं और ये इनके द्वारा बनाये गए हर एक चित्र में झलकता है। हर चित्र कहीं न कहीं हमारे और आपके जीवन की कहानी कहता है। इन्हें लिखने का भी शौक़ है। इनकी दो किताबें भी प्रकाशित हुयी हैं– 'कि कोई आने को है' (लेख लेखि प्रकाशन) और 'थोड़ा सा तो होना बचपन' (प्रकाशन विभाग)। अनु प्रिया जी हमारी मंजरी की विशिष्ट अतिथि कलाकार हैं।

आंखो–देखी

न सम्मान, न पहचान वजूद तलाशतीं औरतें

ये दास्तान है उन औरतों की जिनकी अपनी न कोई मर्जी है, न जरूरत और न ही कोई मोल। समाज और परिवार के लगाए प्रतिबंधों, आक्षेपों और थोपी गई जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी इन औरतों ने खुद अपना ही वजूद खो दिया है। बिहार के मधुबनी जिले में 'मुसहर' जाति की औरतों के दर्द को बयां करती एक रिपोर्ट।

टूटता मौन

नीना श्रीवास्तव की कलम से

चीन में एक कहावत है "Women hold up one-half of the sky" यानी आधा आकाश औरतों का है। मगर आज भी हमारे देश में स्थिति बहुत अलग है। औरतों के सिर पर न तो छत है और न ही पैरों तले जमीन। खुद उनकी पहचान भी उनके नाम की नहीं है। कुछ साल पहले मुझे बिहार के मधुबनी जिले की मुसहर बस्ती की 50 से अधिक महिलाओं से मिलने और उनसे बातें करने का मौका मिला। उनके शब्द उनके जीवन के अनुभवों पर आधारित हैं और इसलिए ये वास्तविक जीवन की कथाएं हैं, निरा कल्पना नहीं। पहले तो उनके दिल में छिपे दर्द को बाहर निकालना बहुत मुश्किल लगा लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझमें भी एक पत्नी और एक मां को देखा तो मौन टूटा और कहानियां एक के बाद एक सामने आती गईं।

आपबीती को साझा करते वक्त माहौल इतना संवेदनशील और खास था कि मुझे उनकी अनकही बातें भी सुनाई देने लगी थीं। उन्होंने मुझे छुआ था। वो अलग–अलग क्षेत्र, माहौल और वर्ग से थीं। वो न तो अमीर थीं और न ही पढ़ी–लिखी। लेकिन एक बात जो उन सभी को जोड़ती थी, वो ये थी सभी एक जैसी घरेलू हिंसा की शिकार हुई थीं, और मौन रहने के बजाय उन्होंने अपने दर्द को जाहिर करना और घरेलू हिंसा पर चुप्पी को तोड़ना चुना था। उनके साथ बातचीत में जो बातें परिलक्षित हुईं उनमें निम्न शामिल थीं–

हमेशा वे ही गर्भनिरोधक का इस्तेमाल क्यों करती थीं? परिवार नियोजन के जिन तरीकों के बारे में वे जानती थीं वो थे ट्यूबेक्टोमी, कॉपर–टी, माला–डी और गर्भपात। उन्होंने बताया कि मर्द शायद ही कभी कंडोम का इस्तेमाल करते थे। वेसेक्टोमी पुरुषों के बीच चलन में नहीं था क्योंकि उन्हें डर था कि इससे वो कमजोर हो जाएंगे और कोई 'भारी' काम करने की उनकी क्षमता घट जाएगी। इससे उन्हें नपुंसक होने का भी डर था। ''शरीर पर दर्द हम ही क्यों भोगें, मरद काहे नहीं?'' सभी खास स्वास्थ्य सेवाएं शहरों में ही क्यों हैं? पीडीएस प्रणाली कहां है और भोजन 'लाल कार्ड' कहां हैं? क्यों महिला को अधिकार नहीं है सवाल करने का और जानकारी लेने का?

आंखो–देखी

खंड I

यौन किया पर महिलाओं का प्रभाव और नियंत्रण

कीमती संसाधनों और महिलाओं की यौन कामुकता पर पुरुषों का नियंत्रण औरतों को जीवन के हर क्षेत्र में निर्भर और शक्तिहीन बना देता है। इसके कारण औरतें परिवार में तय की गई उनकी भूमिकाओं में बंध जाती है जो बच्चा जनने के चारों ओर चक्कर लगाती है क्योंकि बेटा पैदा करने से परिवार का मान बढ़ता है। शारीरिक संबंधों के बारे में निर्णय लेने या पहल करने जैसे विशेषाधिकार मर्दों के पास होते हैं। महिलाएं बच्चे को जन्म देने, घरेलू काम निबटाने और उत्पादक श्रमिक होने, इन तीनों का बोझ उठाती हैं। करीब 90 प्रतिशत औरतों ने उनके साथ जबरन सेक्स की बात बताई। उनके पतियों ने माहवारी शुरू होने से पहले अपने साथ सेक्स करने के लिए उन्हें मजबूर किया। शारी. रिक संबंध बनाने के लिए इस प्रकार मजबूर करने को दूसरे शब्दों में 'मैरिटल रेप' भी कहा जा सकता है जिसे समाज में वैध घोषित किया जा चुका है। महिलाओं ने बताया, ''दीदी जी बहुत दर्द भोगे हैं शरीर पर– काहे औरत को ही हर दर्द भोगना पड़ता है। हमारा कोख सबसे बड़ा दर्द का कारण है। दर्द भोगो पर बच्चा जनते जाओ, उ भी लड़का।''

सुखी सादा की शादी 15 साल की उम्र में एक विधुर के साथ कर दी गई थी। जब पूछा कि इतनी छोटी उम्र में शादी क्यों हो गई तो उसने कहा, ''एक दिन हम इक्कट–दुक्कट खेल रहे थे। हमको चोट लग गया था। हम घर गए। हमारे साड़ी पर खून लग गया था। सब समझे कि हमको महीना हो गया। बस कुछ महीना बाद मां–बाप हमारा शादी कर दिया।'' शादी के बाद सेक्स संबंध के बारे में पूछने पर उसने बताया, ''बहुत दर्द होता था, बहुत तकलीफ हुआ...हम बहुत डरते थे जब भी हमारा मरद हमारे पास आता था। हम अपने नैहरा गए लेकिन किसी से कुछ नहीं बोले। हमको लाज आती थी और सोचते थे कि बोलने से क्या होगा, कोई नहीं सुनेगा हमारा पीड़ा। हमको आपको इसलिए बता रहे हैं काहे कि आप पूछे। मेरा महीना मेरे शादी के दो साल के बाद हुआ। सुखी जब मेरे साथ अपने अनुभव को बांट रही थी तब उसकी उम्र 40 साल की थी। अपने आप को जाहिर करने से पहले वो 26 साल यौन पीड़ा में बिता चुकी थी। सेक्स को लेकर जिस डर और सदमे को उसने झेला था उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन एक औरत होने के नाते मैं उसकी झुंझलाहट, उसकी पीड़ा को समझ सकती थी। सुखी की कहानी उसके जैसी कई लड़कियों की कहानी में से एक है। महिलाओं को औपचारिक तौर पर सेक्स संबंधी शिक्षा नहीं दी जाती है। वे अशिक्षित हैं। सेक्स से जुड़ी बातों की जानकारी न होने से औरतों में उलझन और गलतियां बनी रहती हैं। इनमें से ज्यादातर मामले 'मैरिटल रेप' की संकीर्ण परिभाषा के दायरे में आते हैं। दूसरे कई देशों की तरह हमारे देश ने मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा है। अपवाद के तौर पर यदि लड़की की उम्र 15 साल से कम है तो उसके साथ जबरन सेक्स संबंध नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन इस रेखा का भी कोई महत्व नहीं है क्योंकि 15 साल से कम उम्र की लड़कियों का विवाह कराया जा रहा है और उनके साथ उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरन सेक्स संबंध भी बनाया जा रहा है। शादी के बाद लड़कियों से जबरन सेक्स संबंध बनाने को सामाजिक वैधता प्रदान कर और उससे जुड़े मामलों में कोई कार्रवाई नहीं करके हमारे देश की सरकारी एजेंसियां और सामाजिक संगठन औरतों को मौन रहने के लिए बाधिक करती हैं। हमसे बात. चीत के दौरान ज्यादातर औरतों ने माना कि इस मुद्दे पर बात करने में उन्हें शर्म तो आती है लेकिन साथ ही मुंह खोलने का खामियाजा भुगतने का डर भी बना रहता है। पति के द्वारा छोड़ दिए जाने, समाज से बाहर निकाल दिए जाने और मारपीट करने या खर्चा देना बंद कर देने जैसे खतरे हमेशा बने रहते हैं। गांव की एक औरत ललिता ने कहा, ''ज्यादातर महिलाएं पति द्वारा बलात्कार की बात नहीं उठा सकतीं क्योंकि कानून के अनुसार शादी के समय ही उन्होंने इस बात के लिए अपनी सहमति दे दी है। एक बार के लिए और पूरी जिंदगी के लिए।'' सुधीर कक्कड़ बताते हैं, ''मर्दों के बारे में जो धारणा बनाई गई है कि अपने प्रेम में वो एक शिशु के समान है, अपने स्नेह में हिंसक है और क्रोध में क्रूर है, उस धारणा के आगे महिलाओं के सामने समर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। एक अच्छी औरत को 'पतिव्रता' कहा जाता है जो अपने जीवन को पति के कल्याण और उसकी जरूरत के लिए न्योछावर कर देती है।''

खंड II

महिलाएं और स्वास्थ्य सुविधाएं– उपलब्धता, पहुंच और गुणवता

चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता केवल 30 फीसदी तक ही थी। विवा. हित महिलाओं में इन्हें लेकर जागरूकता निम्नतम स्तर पर थी। ज्यादातर महिलाओं ने बताया कि जिस समय उन्हें उपचार की सबसे अधिक जरूरत थी, उस समय वो नहीं मिला। 30 साल की रेणु सादा से जब मैं मिली तो उसने बताया, ''हमको सफेद पानी आने लगा। हमको संस्था की स्वास्थ्य सेविका डॉक्टर के पास ले गई। हम डॉक्टर से पूछे कि सफेद पानी क्या है तो उ बोली कि तुम नहीं समझोगी काहे कि तुम अनपढ़ हो। जाओ जो दवाई लिखे हैं ले लो। सुरती सादा ने कहा, ''एएनएम शायद ही कभी हमारे पास आती हैं। साल में सिर्फ एक बार क्योंकि उन्हें अपना टारगेट पूरा करना होता है। पर हमको ज्यादा पता नहीं है परिवार नियोजन के बारे में। कोई 'हकीम' जड़ी बूटी गोली दे जाता है। हम उसको खाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। पैसा लूट लेता है। डर से गोली बाजार से नहीं लेते हैं। मरद कमाने वाला है। पैसा में कमी हुआ और पता चला कि हम बच्चा नहीं होने का गोली खा रहे हैं तो मारता है। कहता है कि बियाने वाले हम हैं और परिवार चलाने वाले हम हैं तो तुम कौन होती है बच्चा गिरानेवाली। ज्यादा ज्यादा लड़का पैदा करो, मजदूरी करेगा तो चार पैसा आवेगा।

प्रवासन से जुड़ी समस्याएं

मेरी यात्रा के दौरान जो एक बात सामने आई वो थी प्रवासन। मर्दों का कमाई करने के लिए गांव से बाहर जाना और फिर लौटकर वापस आने के बाद औरतों पर जुल्म ढाना बहुत बड़ी समस्या थी। छोटी

अवधि के लिए होने वाला प्रवासन एक सप्ताह से लेकर एक महीने तक का हो सकता था जबकि लंबी अवधि का प्रवासन तीन महीने से एक साल तक का हो सकता था। इन गांवों में ज्यादातर लंबी अवधि के लिए प्रवासन ही मौजूद था। लंबे समय तक घर से दूर रहने के दौरान मर्द कॉमर्शियल सेक्स के संपर्क में आते थे। इसने गांव में रहने वाली उनकी पत्नियों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। उनका कहना था, ''हमलोग को बहुत तरह का बीमारी होता है पर क्या करें, लाज से बोल नहीं सकते। चुपचाप सहते हैं।'' ''मरद परदेस काम करने जाता है और लंबे समय के बाद लौटता है। हम पर जोर जबर्दस्ती करता है।'' एक पत्नी यह जानते हुए भी कि उसका पति संक्रमण की चपेट में है, उसके साथ संबंध बनाने से इंकार नहीं कर सकती है। नतीजा वो खुद को भी उस संक्रमण से बचा नहीं पाती है। इतना ही नहीं, अपनी पत्नी को संक्रमित कर देने के बाद भी वे उन्हें मुंह बंद रखने के लिए धमकाते हैं और ऐसा नहीं करने पर उन्हें घर से निकाल देने का डर दिखाते हैं। जितनी भी औरतों से मैं मिली उनमें से आधी औरतों ने अपनी सेहत से जुड़ी परेशानियों को लेकर किसी तरह की कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं थीं।

चित्रः https://thehimalayantimes.com

खंड III

किसी तरह के सपोर्ट सिस्टम या नेटवर्क की कमी

जिन महिलाओं से मैं मिली वे अपनी समस्याओं के लिए किसी तरह के सपोर्ट सिस्टम या नेटवर्क के बारे में नहीं जानती थीं। ज्यादातर ने बताया कि उनपर होने वाले यौन अत्याचार या प्रताड़ना के बारे में बात करने के लिए कोई प्लेटफार्म मौजूद नहीं था, यहां तक कि महिलाओं के बीच भी नहीं। इस तरह की बातचीत केवल अनौपचारिक समारोहों में ही हो सकती थी जैसे कि सामाजिक मेलमिलाप के दौरान या फिर पड़ोसियों से। इसके अलावा और जिन जगहों पर बात हो सकती थी वो थे पानी लाने जाना या कपड़े धोने के समय। बाढ़ के समय स्थिति और भी दुरूह हो जाती है। उस समय सरकार या सामाजिक संगठनों की भूमिका क्या होती है?

बाढ़ के समय उन्हें सामाजिक संगठन खिचड़ी मुहैया कराते हैं। कुछ सूखा राशन और एक महीने के लिए किरासन का तेल भी। पूरे समय के लिए उन्हें बांध पर शरण लेनी पड़ती है। शौच के लिए वे महिलाओं के साथ समूह में नदी के बीच में जाती हैं। फिर उसी नदी का पानी पीने के लिए मजबूर होती हैं। कहती हैं, ''रात को हम महिला लोग फेरा–फेरी पहरा देते हैं। कभी गोरू चोरी जाने का डर रहता है तो कभी अपना इज्जत।''

सच्चाई

सच्चाई यही है कि औरतें वास्तव में बुरी स्थिति में हैं। उस पूरे इलाके में केवल 11 प्रतिशत औरतें पढ़ी–लिखी थीं और 25 प्रतिशत का विवाह 14 साल की उम्र से पहले हो गया था। छोटे भाई–बहनों की देखभाल करना लड़कियों के लिए पढ़ाई छोड़ने के बड़े कारणों में से एक था। करीब आधी महिलाओं की शादी 16 साल की उम्र में हो गई थी और 19 की आयु तक उनका पहला बच्चा हो चुका था। उनके पास स्वास्थ्य से जुड़ी कोई जानकारी नहीं थी और निर्णय लेने में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर आपस में मिलने, चर्चा करने या उनका हल निकालने का भी कोई मौका नहीं मिला। ज्यादातर शादियों में औरतें आश्रित थीं और उनके नाम से कोई संपत्ति नहीं थी। विवाद होने पर उनके समर्थन में कानूनी सहायता भी कुछेक ही थे लेकिन उनतक भी उन औरतों की पहुंच नहीं थी। 5 साल से कम उम्र के 50 प्रतिशत से अधिक बच्चे कुपोषित थे और 70 प्रतिशत एनीमिया के शिकार थे। 80 प्रतिशत से अधिक महिलाएं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलना चाहती थीं। कुछ महिलाएं तो अपने गांव से बाहर कभी गई ही नहीं।

कहा जा सकता है कि अधिसंख्य औरतों को अब भी सामा. जिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी तय करनी है। 1995 की वैश्विक मानव विकास रिपोर्ट ने तीन मूलभूत सिद्धांतों की पहचान की थी जो इस लक्ष्यों को पाने की दिशा में काम कर सकते थे– औरतों और मर्दों के बीच अधिकारों की समानता, महिलाओं को बदलाव की वाहक और लाभुक के रूप में देखा जाना तथा महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने वाली नीतियों का निर्माण करना (UNDP, 1995)। हमें इन सिद्धांतों को गंभीरता से लेना होगा और विकास की प्रक्रियाओं में औरतों को शामिल कराने के लिए कदम उठाने होंगे।

अध्ययन

भारत में वैवाहिक बलात्कार और हिंसा

भारतीय समाज में पुरुषों द्वारा इस तरह की हिंसा को लगभग जायज माना जाता है। इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखने की वजह से सरकारी तौर पर इस तरह की घटनाओं का कोई ब्यौरा नहीं रखा जाता। लेकिन दूसरे अन्य सामाजिक–पारिवारिक अध्ययन भारतीय समाज में बड़े पैमाने पर वैवाहिक बलात्कार व यौन हिंसा की घटनाओं को उजागर करते हैं।

राजलक्ष्मी

(लेखिका स्त्री अध्ययन विभाग, हिन्दी विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं)

एक पति अपनी पत्नी का बलात्कार कैसे कर सकता है? वैवाहिक बलात्कार की जब भी बात होती है तो यह सवाल तुरंत पूछा जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो वैवाहिक बलात्कार का अर्थ है अपनी जीवनसाथी की सहमति के बिना बनाया गया यौन संबंध। यानि वैवाहिक रिश्ते में जीवनसाथी की सहमति लिये बिना या फिर धमकी, शारीरिक या मानसिक हिंसा का सहारा लेकर बनाए गए यौन संबंध वैवाहिक बलात्कार हैं। दुनिया के कई देशों ने अपने कानून और बलात्कार की परिभाषा में बदलाव करते हुए वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखा है। भारत में वैवाहिक बलात्कार अभी भी अपराध की श्रेणी से बाहर है। भारतीय कानून केवल 18 वर्ष से कम उम्र की विवाहित महिलाओं के साथ यौन संबंध को बलात्कार मानता है। हालांकि 18 वर्ष से कम उम्र की विवाहित महिलाओं को यह छूट नाबालिग होने व पोस्को एक्ट की वजह से मिलता है। बलात्कार से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 375 व 376 में केवल 15 वर्ष से कम आयु की विवाहित महिलाओं के साथ यौन संबंध को बलात्कार माना गया है।

वैवाहिक बलात्कार के कई पहलू हैं। इसमें वैवाहिक संबंधों में पुरुषों द्वारा महिलाओं का शारीरिक, यौन व मानसिक शोषण व हिंसा महत्वपूर्ण पहलू है। भारतीय समाज में पुरुषों द्वारा इस तरह की हिंसा को लगभग जायज माना जाता है। इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखने की वजह से सरकारी तौर पर इस तरह की घटनाओं का कोई ब्यौरा नहीं रखा जाता। लेकिन दूसरे अन्य सामाजिक–पारिवारिक अध्ययन भारतीय समाज में बड़े पैमाने पर वैवाहिक बलात्कार व यौन हिंसा की घटनाओं को उजागर करते हैं।

वैवाहिक बलात्कार की घटनाएं

वैवाहिक बलात्कार या विवाहित महिलाओं का पतियों द्वारा यौन शोषण को कानूनी तौर पर अपराध की श्रेणी में नहीं मानने की वजह से इससे जुड़ी घटनाओं का सही आंकड़ा पता लगा पाना मुश्किल है। लेकिन राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस–4) के 2015–16 के आंकड़ों से भारतीय पुरुषों की मानसिकता की एक झलक देखी जा

सकती है। सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि पुरुष यौन संबंधों के लिए पत्नी की सहमति को जरूरी नहीं मानते हैं। वह पत्नी द्वारा यौन संबंध से इंकार करने पर उसे शारीरिक, मानसिक या आर्थिक प्रताड़ना का सही मानते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार भारत में हर 100 में से 9 पुरुष यह मानते हैं कि अगर पत्नी सेक्स से इंकार करे तो पति को यह अधिकार है कि वह उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करे। ऐसा मानने वाले पुरुषों की संख्या आंध्प्रदेश में 28.5 प्रतिशत, तेलंगाना में 25.6 प्रतिशत, मिजोरम में 19.3, त्रिपुरा में 17.9 और जम्मू–क्श्मीर में 14.8 प्रतिशत है। सर्वे के अनुसार हर 100 में से 11 भारतीय पुरुष मानते हैं कि सेक्स से इंकार करने पर पति को अधिकार है कि वह

पत्नी को आर्थिक सहायता देने से मना कर दे। ऐसा मानने वाले पुरुषों की संख्या तेलंगाना में 30.7 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 28.3, जम्मू–कश्मीर में 18.3, त्रिपुरा में 17.9 और मिजोरम में 15.7 प्रतिशत है। हर 100 में से 18 भारतीय पुरुष यह मानते हैं कि पत्नी द्वारा सेक्स से इंकार करने पर पतियों को अधिकार है कि वह पत्नियों से नाराज हो सके या उन्हें डांट–फटकार सके। ऐसा मानने वाले पुरुषों की संख्या आंध्र प्रदेश में 43 प्रतिशत, तेलंगाना में 43, मिजोरम में 29.1, जम्मू–कश्मीर में 21.7, और पश्चिम बंगाल में 20.3 प्रतिशत है। हर 100 में से 9 भारतीय पुरुष ने सेक्स से इंकार करने पर पत्नी को 'नियंत्रित' करने के लिए उसके खिलाफ हिंसा का सहारा लेना या उन्हें मारना–पीटना जायज मानते हैं। ऐसा मानने वालों में सबसे ज्यादा पुरुषों की संख्या आंध्र प्रदेश में 28.5, तेलंगाना में 26 प्रतिशत, मिजोरम में 19.1, जम्मू–कश्मीर में 14. 8. और हरियाणा में 11 प्रतिशत है। सर्वे के अनुसार हर 100 में से 15 भारतीय पुरुष इस बात से सहमत नहीं थे कि महिला की अगर इच्छा नहीं है या वह थकी है तो उसका सेक्स से इंकार करना जायज है। ऐसा मानने वाले पुरुषों की संख्या तमिलनाडु में 37.4 प्रतिशत, कर्नाटक में 32.1, अरुणाचल प्रदेश में 26.1, असम में 24.1 व नगालैंड में 19.7 प्रतिशत है।

महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की घटनाएं

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में 15–49 वर्ष की विवाहित महिलाओं से उनके पतियों के यौन हिंसा संबंधी सवाल पूछे गए। उनसे पूछा गया कि क्या उनके पति पति उनकी इच्छा के खिलाफ यौन संबंध बनाने का दबाव देते हैं, या इसके लिए हिंसा का सहारा लेते हैं, या फिर किसी तरह की धमकी देते हैं। इन सवालों के जवाब में हर 100 में से 5 महिलाओं का मानना था कि उनके पतियों ने उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें यौन संबंध के लिए मजबूर किया। बिहार में 11.4 प्रतिशत, मणिपुर में 10.6 प्रतिशत, त्रिपुरा में 9, पश्चिम बंगाल में 7.4 और हरियाणा में 7.3 प्रतिशत महिलाओं ने इस तरह की घटनाओं के बारे में बताया।

सर्वे के अनुसार, पतियों द्वारा हिंसा झेलने वाली महिलाओं में 21 प्रतिशत में कटने, घाव या जलने की घटनाओं के बारे में बताया। इसमें 8 प्रतिशत महिलाएं गंभीर घाव जैसे कि आंखों में घाव, मोच, हड्डी टूटने या जलने जैसे हिंसा को झेला। 6 प्रतिशत महिलाओं ने गहरे जख्म, हड्डी टूटने या दांत टूटने जैसी हिंसा को झेला। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को शारीरिक, यौन व मानसिक तीन श्रेणियों में दर्ज किया। सर्वेक्षण में शामिल 31 प्रतिशत महिलाओं ने कभी न कभी शारीरिक, यौन व मानसिक हिंसा का शिकार हुई थीं। 27 प्रतिशत ने सर्वेक्षण के दौरान पिछले बारह महीनों में इस तरह की हिंसा की घटनाओं का जिक्र किया। 6 प्रतिशत ने यौन हिंसा का जिक्र किया।

पतियों द्वारा की जाने वाली हिंसा इस तरह की हिंसा होती है जिसके बारे में महिलाएं अक्सर बातचीत करने या बताने से बचती

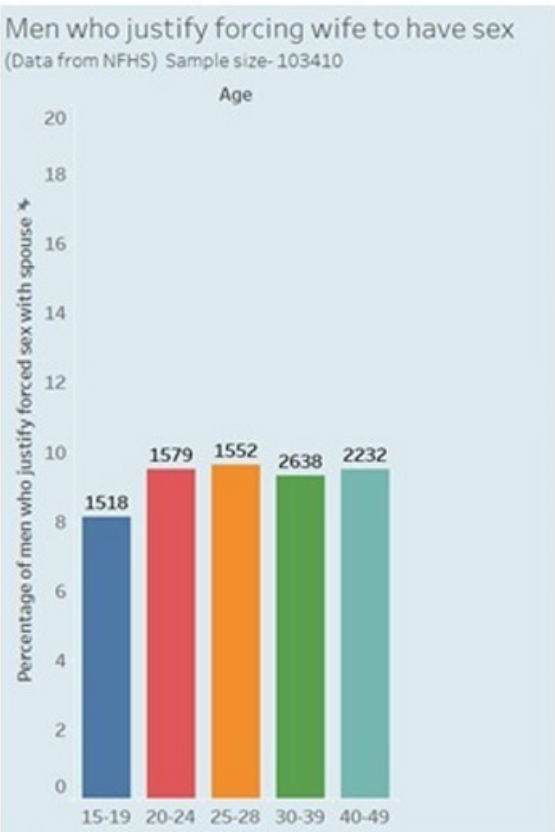

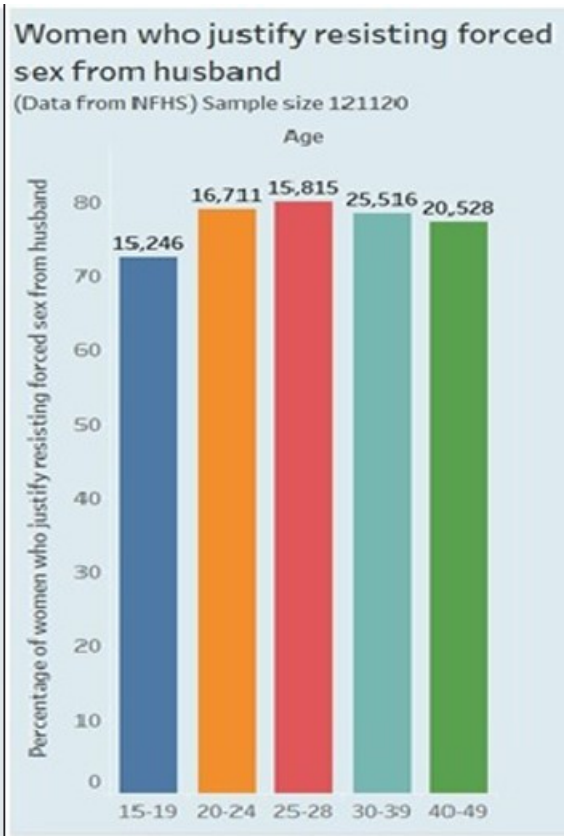

हैं। इस बारे में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट कहती है कि 15–49 वर्ष की विवाहित महिलाओं में से 76 प्रतिशत ने अपने साथ हिंसा के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। केवल 12.3 महिलाओं ने इस तरह की हिंसा के खिलाफ किसी से मदद मांगी। मदद मांगने वाली महिलाओं में करीब 65 प्रतिशत महिलाओं ने अपने परिवार से ही मदद मांगी, 28 प्रतिशत ने पति के परिवार से मदद मांगी और 15.7 प्रतिशत ने मित्रों में से किसी से मदद मांगी। केवल 3.5 महिलाओं ने पुलिस से, 1 प्रतिशत ने वकीलों और सामाजिक संगठनों से मदद की गुहार लगाई।

वैवाहिक बलात्कार और कानून

भारत में विवाहित महिलाएं बलात्कार संबंधी कानून के दायरे से बाहर ही रही हैं। भारतीय कानून इस संबंध में पुरुषों को वैवाहिक संबंधों के आधार पर पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि कुछ कानूनी सुधार के बाद 18 वर्ष सी कम आयु की महिलाओं के साथ उनके पतियों द्वारा इच्छा के विरुद्ध बनाए गए यौन संबंध को बलात्कार की श्रेणी में रखा गया है लेकिन अभी भी 18 वर्ष से ऊपर की महिलाएं को वैवाहिक बलात्कार के दायरे से बाहर रखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में बलात्कार संबंधी प्रावधानों का जिक्र है। इसके अनुसार "किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी जो कि 15 वर्ष से कम की न हो, के साथ यौन संबंध बलात्कार नहीं है।" धारा 376 में बलात्कार के जुर्म में सजा का प्रावधान है। इस धारा के अनुसार केवल दो तरह की विवाहित महिलाओं से बलात्कार के मामले में सजा हो सकती है। पहली वो जो 15 वर्ष से कम आयु की हों और दूसरी वो जो पति से अलग (कानूनी या सामाजिक तौर पर) हो चुकी हों।

न्यायपालिका और विधायिका दोनों में वैवाहिक बलात्कार को लेकर एक दकियानूसी रवैया देखना को मिलता रहा है। ऐसे ज्यादातर मामलों में कानून में सजा का प्रावधान नहीं होने का हवाला दिया जाता है, जो एक हद तक सही भी है।

वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा अधिनिमय पारित किया गया। इस अधिनियम में भी विवाहित महिलाओं का पतियों द्वारा बलात्कार को केवल हिंसा के रूप में देखा गया है। कोई भी महिला अपने साथ ऐसी किसी घटना की शिकायत दर्ज कराती है तो उसे महिला के खिलाफ हिंसा के रूप में दर्ज किया जाता है।

न्यायपालिका और विधायिका दोनों में वैवाहिक बलात्कार को लेकर एक दकियानूसी रवैया देखना को मिलता रहा है। ऐसे ज्यादातर मामलों में कानून में सजा का प्रावधान नहीं होने का हवाला दिया जाता है, जो एक हद तक सही भी है। लेकिन कुछ मामलों में न्यायाधीशों के अपने विचार भी वैवाहिक बलात्कार के खिलाफ होते हैं और वह इसे स्वीकार नहीं कर पाते। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने बंगलुरु में लॉ कॉलेज के एक समारोह में कहा कि "मुझे नहीं लगता कि वैवाहिक बलात्कार को भारत में अपराध के रूप में देखा जाना चाहिए। इससे परिवार में पूरी तरह से अराजकता फैल जाएगी। हमारे देश इसलिए भी मजबूत है क्योंकि यहां परिवार, पारिवारिक मूल्यों पर चलता है।" (टाइम्स ऑफ इंडिया, 9 अप्रैल, 2019)

वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट में इंडिपेंडट थॉट ने एक जनहित याचिका दायर कर भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के भाग 2 को चुनौती दी। भाग 2 में पति द्वारा पत्नी के साथ यौन संबंध को बलात्कार से अपवाद माना गया है। इंडिपेंड थॉट का कहना था कि यह अपवाद अनुच्छेद 14,15 और 21 का उल्लंघन करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपराध मानने से यह कहते हुए खारिज कर दिया की "संसद में वैवाहिक बलात्कार पर काफी विचार हुआ और इसे बलात्कार जैसा अपराध माने जाने योग्य नहीं पाया गया। इसीलिए इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।" संसद में भी विषय पर बहस हुई। मेनका गांधी महिला व बाल विकास मंत्री के पद पर रहते हुए वैवाहिक बलात्कार का बचाव किया था। उनका कहना था कि "भारतीय संदर्भों में यह लागू नहीं होता।" एक अन्य सांसद हीराभाई पार्थीभाई चौधरी ने भी इसका बचाव करते हुए कहा कि "मैरिटल रेप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना जा सकता है लेकिन भारतीय परिस्थितियो में इसे लागू नहीं किया जा सकता। क्योंकि यहां कई कारक हैं, जैसे कि शिक्षा का स्तर, अशिक्षा, गरीबी, विविध तरह के सामाजिक विधान व मूल्य, धार्मिक भावनाएं व सामाजिक विचार में विवाह को पवित्र नजरों से देखा जाता है।"

गुजरात हाइकोर्ट के जज जस्टिस जे बी पारद. ीवाला ने 2018 में वैवाहिक हिंसा के एक मामले में कहा कि "चूंकि भारतीय दंड संहिता पत्नी के साथ यौन संबंध को बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा गया है इसलिए महिला के पति को बलात्कार की सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन पारदीवाला ने अपने फैसले में कानून की सीमाओं पर नाखुशी भी जाहिर की। उन्होंने वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखने की वकालत की और कहा कि "वैवाहिक बलात्कार पति का विशेषाधिकार नहीं है बल्कि हिंसक क्रिया है और इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।" (www.huffingtonpost.in)

दिल्ली उच्च न्यायालय में दिए अपने हलफनामे में भारत सरकार ने वैवाहिक बलात्कार को बलात्कार की श्रेणी में रखने से मना कर दिया। इसकी दो वजहें गिनाई गईं। पहला कि वैवाहिक संबंध पवित्र रिश्ता होता है और भारतीय संदर्भों में इस रिश्ते का अपराधीकरण करने से समाज अस्थिर हो जाएगा। दूसरा, इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि इससे पतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर फर्जी मामले दर्ज होने लगेंगे। सरकार का ये तर्क कि इससे विवाह जैसे पवित्र संस्थान पर असर आएगा, सही नहीं है। अगर ये संस्थान पवित्र है तो इसमें हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कई और ऐसे कानून हैं जिसमें वैवाहिक रिश्तों में हिंसा को अपराध माना गया है जैसे कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। इस अधिनियम से तो विवाह जैसे संस्थान पर कोई आंच नहीं आई, फिर वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानने से भी विवाह जैसे संस्थान पर कोई खतरा नहीं हो सकता।

http://streekaal.com से साभार

66% पुरुषों ने कहा–पत्नी कर सकती है इंकार

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–5

मैरिटल रेप क्राइम है या नहीं, इस पर बहस जारी है। इस बीच राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–5 (2019–21) में खुलासा हुआ है कि पुरुषों का एक बड़ा वर्ग इस बात से इत्तेफाक रखता है कि यदि महिला थकी हुई है तो पति से शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर सकती है। महिलाओं के इस फैसले को सही मानने वाले पुरुषों का आंकड़ा 66% है।

इसी सर्वे में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया और 80% ने माना कि सिर्फ एक यही नहीं बल्कि दो और कारण भी हैं, जिनके चलते वे पति से संबंध बनाने से इनकार कर सकती हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे–5 में 15–49 साल की उम्र के पुरुष और महिलाओं को शामिल किया गया था। इसके पहले हुए NFHS–4 (2015–16) के सर्वे के आधार पर पुरुषों की संख्या में 8 साल में महज 3% का ही इजाफा हुआ है, जो इस बात से सहमत हैं कि महिलाओं को इन तीनों कारणों के चलते संबंध बनाने से इनकार करने का अधिकार है। हालांकि इस मामले में महिलाओं की संख्या 12% बढ़ी है। यह सर्वे दो फेज में हुआ। पहला फेज 17 जून 2019 से 30 जनवरी 2020 तक चला। जिसमें 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों से जानकारी इकट्ठा की गई। फेज 2 का सर्वे 2 जनवरी 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक 11 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हुआ।

पुरुषों से पूछा गया– क्या उन्हें ऐसे व्यवहार का अधिकार है–

- गुस्सा होना और पत्नी को फटकारना।
- पत्नी को पैसे देने से मना करना।
- पत्नी से मारपीट करना।
- उसके न चाहते हुए भी उससे यौन संबंध बनाना।
- कहीं और जाकर दूसरी स्त्री से संबंध बनाना।

मौजूदा दौर में जब लोग सेहत और कल्चर को लेकर ज्यादा अवेयर हो गए हैं, तब इस सर्वे से एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 44% पुरुषों का मानना है कि पत्नी को पीटना सही है। हैरानी की बात ये है कि 45% महिलाएं भी इसे सही मानती हैं। मारपीट को सही ठहराने वाली महिलाओं की संख्या पिछले सर्वे की तुलना में जहां 7% घटी है। वहीं पुरुषों के मामले में यह संख्या 2% बढ़ी है। इसके लिए उन्होंने 7 मुख्य कारण भी बताए हैं।

सेक्स और मैरिटल रेप से जुड़े एक मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने मार्च 2022 में एक ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिसमें कहा था कि शादी, पुरुष को विशेषाधिकार देने का लाइसेंस या क्रूर और जानवर बनने का लाइसेंस नहीं देती है। कोर्ट ने एक पत्नी के यौन प्रताड़ना के लिए उसके पति के खिलाफ रेप के आरोप को बरकरार रखते हुए कहा था– एक आदमी केवल आदमी है, अधिनियम सिर्फ अधिनियम है और रेप केवल रेप है, चाहे वह किसी पति ने अपनी पत्नी से किया हो। यदि यह एक पुरुष के लिए दंडनीय है, तो यह पति के लिए भी दंडनीय होना चाहिए।

साभारः दैनिक भास्कर

सुधा
मिल्क एवं मिल्क प्रोडक्टस
वादा शुद्धता का

3 दशकों में बिहार के डेयरी क्षेत्र में नये युग के उदय की अनकही कहानी

बिहार स्टेट मिल्क को–ओपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (कॉम्फेड) को आपरेशन फ्लड के कार्यान्वयन एजेंसी के तौर पर 1983 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया शुरू करना और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर डेयरी उत्पाद उपलब्ध कराना था। ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण दूध और दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने के साथ–साथ बिहार में आत्मनिर्भरता लाने तथा सक्रिय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था। कॉम्फेड 22971 ग्राम स्तरीय दुग्ध सहकारी समितियों के 12 लाख दूध उत्पादकों से औसतन 20 लाख किलो दूध प्रति दिन संग्रह कर भारत के मिल्क को–ओपरेटिवों में 6ठे स्थान पर है।

कॉम्फेड की सफलता सुदृढ़ तकनीकी ज्ञान से युक्त कार्यक्रम पर आधारित है, जिसका लक्ष्य पशुओं को उचित भोजन, कृत्रिम गर्भाधान एवं उत्पादकता में बढ़ोतरी और बेहतर स्वास्थ्य के माध्यम से दूध उत्पादन की लागत में कमी लाना है।

''सुधा'' ब्रांड के अंतर्गत, (कॉम्फेड) ने बिहार, झारखण्ड, उत्तर पूर्व, पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली–एनसीआर के बाजार में दूध एवं दुग्ध उत्पाद उपलब्ध करा रहा है।

38 वर्षों में
8 दूध संघ
का संगठन

12 लाख दूध उत्पादकों से
प्रतिदिन लगभग 20 लाख
लीटर दूध का संग्रहण

आंगडवाड़ी केन्द्रों के
माध्यम से 38 लाख बच्चों
को दूध की उपलब्धता

22971 दुग्ध
सहकारी समितियाँ
15000 सदस्यों को
प्रति वर्ष प्रशिक्षण

136 पैक साइज़ सहित लगभग
47 किस्मों के दूध एवं दुग्ध उत्पाद
एवं लगभग 24,459 रिटेल नेटवर्क
का गठन

COMFED

बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि.

पीओ–बी.वी. कॉलेज, पटना–800 0014, बिहार, इंडिया ई–मेल: comfed.patna@gmail.com
टोल फ्री नं.: 18003456199 | www.sudha.coop

अनुत्तरित

स्त्री के कंधों पर ही नैतिकता की जिम्मेदारी! आखिर क्यों?

निवेदिता

(लेखिका वरिष्ठ पत्रकार, कवयित्री एवं सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं।)

जब देश की एक बड़ी अदालत मैरिटल रेप पर अपना फैसला नहीं दे पाई तो किससे उम्मीद की जाए? हर रोज बलात्कार से जूझती स्त्रियों को जब न्याय नहीं मिलता तो पति द्वारा किए गए बलात्कार को ये समाज इतनी जल्दी कैसे स्वीकार करेगा।

दिल्ली हाई कोर्ट के दोनों जज मैरिटल रेप के मामले में एकमत नहीं हैं। ये दुखद है कि हमारे देश की अदालत इतने संगीन मामले पर अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। ज़ाहिर है ये कोई आसान फ़ैसला नहीं है। इसलिए इतने सालों बाद भी हमारी न्यायिक व्यवस्था इस मसले पर अपनी एक राय नहीं बना पाई। हमारे समाज में बलात्कार पति भी कर सकता है ये स्वीकार करना मुश्किल है। जो समाज स्त्री को अपनी देह पर अधिकार नहीं देता है वो समाज कैसे स्वीकार करेगा कि सेक्स करने में दोनों तरफ सहमति होना जरूरी है। स्त्री की यौनिकता पर पुरुषों का कब्जा है। पति होने से उसे ये अधिकार स्वतः मिल जाता है।

हमारे समाज ने मर्दों को इंसान समझा और औरतों को मादा। सिमोन द बोउआर कहती है कि जब–जब यह मादा इंसानों की तरह व्यवहार करती है तो उसपर मर्दों के नकल के आरा. ेप लगते हैं। दरअसल स्त्री के पास चुनने कि आजादी नहीं है। जब भी उसने चुनने की को. शिश की उसे जोखिम उठाना पड़ा।

विवाह जैसे सामाजिक बंधन के पीछे भी यही अवधारणा है कि स्त्री संतान पैदा करने के लिए है। सेक्स उसके लिए कोई आनंद का विषय नहीं है। जिस संबंध की बुनियाद ही असमानता पर हो उस सबंध में स्त्री की आजादी और उसकी यौनिकता पर बात कौन करेगा। मैं फिर से सिमोन को कोट करना चाहूंगी। उन्होंने कहा, ''मेरी समझ में औरत को मातृत्व और शादी की जकड़ से आजादी पाने के लिए बहुत सतर्क और चौकन्ना रहना चाहिए। अगर किसी औरत को बच्चा बहुत प्यारा लगता है तो उसे उन चीजों पर ध्यान से सोचना चाहिए, जो बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी सिर्फ औरत पर डाल देती हैं। इस तरह मां होना वाकई में गुलामी ही है। पिता और समाज, बच्चे की सारी जिम्मेदारी मां पर ही डाल देते हैं। औरतों को छोटे–छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए अपनी नौकरियां छोड़नी पड़ती है।'' हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा कामकाजी महिलाओं का है। वे इसलिए नौकरी छोड़ देती हैं कि घर और बच्चे की जिम्मेदारी उन पर रहती है। स्त्री की आजादी का मतलब है सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक और राजनीतिक आजादी।

क्या इस समाज में स्त्री को अपनी यौनिकता पर बात करने की इजाज़त है। क्या वो अपने सेक्सुअल राइट पर बात कर सकती है। क्या वह अपनी शादीशुदा जिन्दगी में आपसी सहमति से सेक्स करने की मांग कर सकती है। क्या उसे अपने ऑर्गेज्म पर बात करने का हक़ है। जैसे ही ये सवाल स्त्री के तरफ से उठेंगे उसे अश्लील और व्यभिचारी साबित कर दिया जाएगा। उसके चरित्र पर सवाल उठेंगे।

दरअसल हमारा समाज स्त्रियों को मनुष्य ही नहीं मानता। उसकी देह पर उसका नियंत्रण नहीं है। फिर वो समाज उनके ऑर्गेज्म पर कैसे बात करेगा। ये तमाम बहस इसलिए है कि औरतों के सेक्स को नियंत्रित किया जाय। मैं अफ्रीका में थी तो वहां शादीशुदा महिलाओं की योनि को सिल देते थे। सिर्फ पेशाब करने के लिए छेद रहता था। शादी के बाद स्टीच को तोड़ा जाता था। ऐसे अनेक उदाहरण है। महिलाओं के साथ इस अमानवीय प्रथा के पीछे उनके यौन सुख को नियंत्रित करने की अवधारणा है। इस तरह की प्रथा दुनिया के कई देशों में आज भी जिंदा है। मुझे लगता है इस मुद्दे को महिलाओं की समानता, बराबरी के अधिकार से जोड़

अनुत्तरित

कर देखने की जरूरत है। सेक्स भी हमारे जीवन का हिस्सा है। जैसे हमें भूख और प्यास लगती है। जैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए अनाज की जरूरत है वैसे ही इस शरीर को सेक्स की जरूरत है। सेक्स कोई अनोखी या अजूबी चीज़ नहीं है। पर जब इस मुद्दे पर स्त्रियां खुलकर बोलती है तो समाज के लिए ये अश्लील हो जाता है। ये इसलिए है कि हमारा समाज स्त्री को सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए सेक्स करने की इजाज़त देता है। इसके पीछे भी पुरुष सत्ता है। जिसकी समझ है स्त्रियों को यौन आनंद लेने का अधिकार नहीं है। दुनिया के कई देशों में मैं ऐसी स्त्रियों से मिली जिनके लिए यौन संबंध एक हादसा है। उनका समाज इतना बंद है की उनकी योनि को भी नियंत्रित करता है। बचपन में ही लड़कियों का खतना किया जाता है। उनके क्लिटोरिस को काट कर निकाल दिया जाता है ताकि वे यौन आनंद न ले सकें। यौन आनंद लेने का हक़ इस समाज में सिर्फ पुरुषों को है। इसके लिए वे समाज के किसी नियम में बंधे नहीं हैं। अगर हमारे पौराणिक कथाओं को पढ़ेंगे तो सारे मर्द चाहे वे ऋषि–मुनि ही हों स्त्रियों को देखकर संयम खो देते हैं। विश्वामित्र जैसे कई उदाहरण हैं। दरअसल नैतिकता का पाठ इस समाज ने स्त्रियों के लिए गढ़ा है। इतिहास पलट कर देखें तो यौन शुचिता के लिए पहले कमरपेटियां बनाई जाती थी। पुरुष अपनी पत्नियों को कमरपेटियाँ पहनाते थे। जिसकी चाभी उनके पास रहती थी। कमरपेटियों में मल–मूत्र के लिए छेद रहते थे। कमर पेटियां भी आपके सामाजिक और आर्थिक दबदबा का प्रतीक थीं। जो जितना पैसा वाला उसकी बीबी की कमरपेटियां उतनी महंगी। मर्द इतने चालाक हैं कि यौन नियंत्रण के अनोखे तरीके निकालते रहे हैं और इसे स्त्री का गहना कहते हैं। आपकी योनि इतनी कीमती है कि इसे आप बैंक के लॉकर में रखें। इसे सिर्फ आपका पुरुष खर्च करेगा। आपको अपने गहना को अपनी मर्जी से पहनने की इजाज़त नहीं है। आज भी हमारे देश के कुछ हिस्से में मरुगुबिल्लाएं औरतें आभूषण के तौर पर इस्तेमाल करती हैं जिसका आकार कमरपेटियों की तरह है। इसे लाज रक्षक पदक कहा जाता है। मर्दवादी समाज औरतों की सारी लाज उसके योनि में डालता है। खुद वो इससे मुक्त है। मर्द का लिंग उसका लाज नहीं है इसलिए सरेआम सड़क पर खड़े होकर पेशाब करता है। मर्द का लिंग उसकी ताकत है। इसलिए वो स्त्री के साथ बलात्कार करता है। कमरपेटियां स्त्री को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई थी। मर्द उसमें ताला लगाकर रखते थे। इतनी अमानवीय यातना इसलिए क्योंकि पुरुषों को ये डर हमेशा से सताता रहा है कि अगर स्त्रियों की योनि को नियंत्रित नहीं किया गया तो 'अक्षत योनि' उन्हें नहीं मिलेगा। बहुत हाल तक हमारे समाज में अक्षत योनि की अवधारणा रही है। आज भी है। शादी के बाद चादर पर खून के धब्बे नहीं दिखते थे तो ये माना जाता था की स्त्री की योनि अक्षत नहीं है। ऑर्गेज्म की कहानी अलग नहीं है। जिस समाज में स्त्री को सिर्फ प्रजनन के लिए इस्तेमाल किया जाता हो उस समाज में उसके चरम आनंद की किसे पड़ी है। ये तमाम सवाल स्त्री के अधिकार और उसकी सामाजिक स्थितियों से जुड़े हैं। हमारा कानून ये हक़ देता है कि अगर पति और पत्नी किसी भी वजह से अपने पार्टनर से सेक्स नहीं कर पाते हैं, या चरम आनंद नहीं पाते हैं तो वे अलग हो सकते हैं। पर कानून इसकी इजाज़त नहीं देता कि रिश्ते में रहते हुए अगर आप सेक्स से संतुष्ट नहीं हैं तो किसी दूसरे के साथ सेक्स करें। ये पॉलीगामी कहलाएगा, या angrogany कहलाएगा। पर हमारा समाज पति को ये हक़ देता है कि आप अपनी पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाएं। जबरन संबंध को सामाजिक मान्यता मिली हुई है। इसलिए इतने सालों बाद भी कानून को साहस नहीं हो रहा है कि इसके खिलाफ कोई फैसला दे।

ऐसी तमाम बहस के पीछे मंशा है कि स्त्रियों को भी सामान्य मनुष्य की तरह अधिकार मिले। उसे भी रोटी, चावल के साथ–साथ अपने शरीर को सुख देने का अधिकार मिले। उसे भी 'ना' कहने का अधिकार मिले। बिना उसकी सहमति के कोई उसके शरीर को हाथ ना लगाए। अगर ये नहीं होगा तो वे हर रोज भयावह हिंसा की शिकार होती रहेगी। अब ये समय आ गया है जब स्त्री के तमाम यौनिकता पर लगातार बात की जाय। स्त्री को 'ना' कहने का अधिकार मिले। उसकी देह पर किसी और का नियंत्रण नहीं हो।

साभारः आउटलुक में पूर्व प्रकाशित

असल बात

ये चुप्पी कहीं नासूर न बन जाए!

आंकड़े दे रहे गवाही फिर भी हकीकत का सामना करने से बचती हैं औरतें

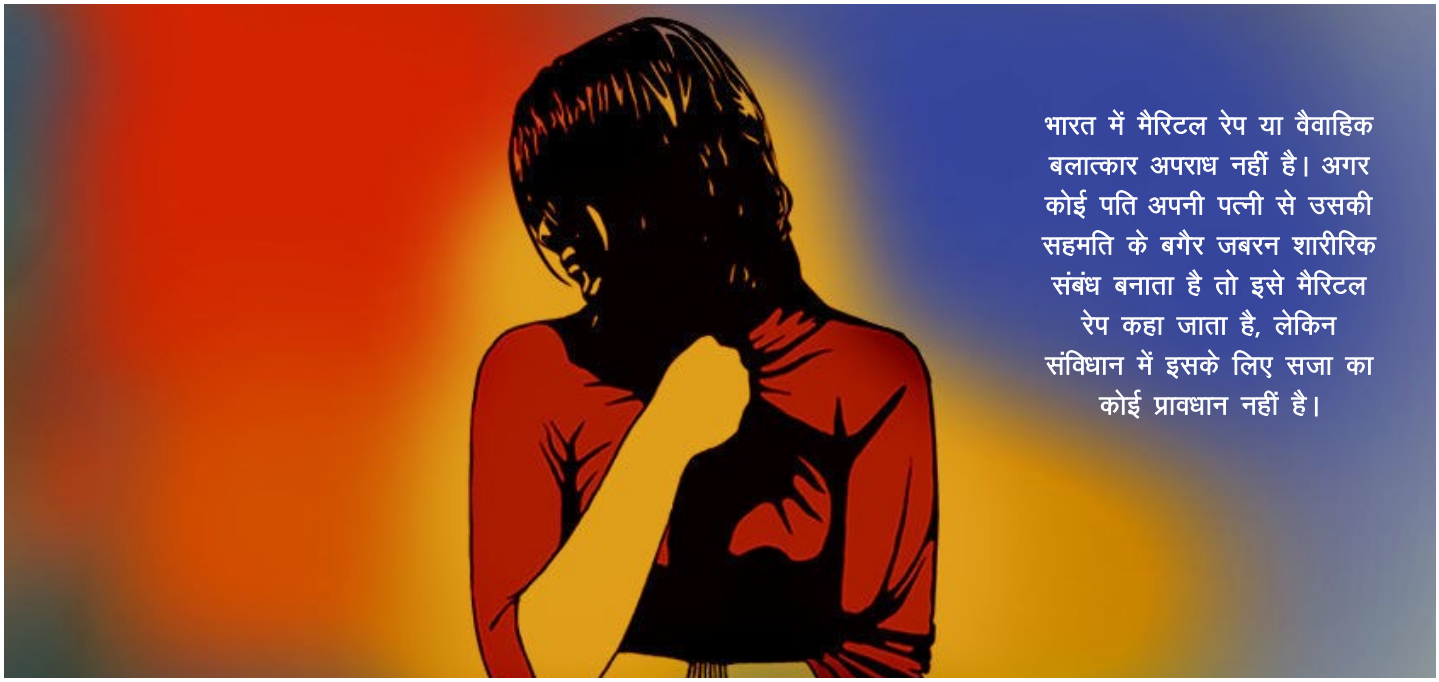

वंदना (काल्पनिक नाम) एक कामकाजी महिला है और शहर के एक कोचिंग इंस्टीच्यूट में काउंसिलर का काम करती है। उसके पति एक निजी बैंक में हैं। दोनों के दो बच्चे हैं–एक बेटा और बेटी। देखा जाए तो उसका परिवार सुखी और संपन्न है, फिर भी वंदना हमेशा झुंझलाई सी रहती है। बहुत पूछने पर एक दिन उसने बताया, ''मुझे पसंद नहीं है रोज–रोज।'' क्या पसंद नहीं, जब मैंने पूछा तो उसने टाल दिया। कई बार पूछने पर उसने बताया कि उसके पति उसके साथ हर रोज शारीरिक संबंध बनाने की जिद करते हैं। लेकिन उसे पसंद नहीं। दिन भर ऑफिस और घर के काम करने से वो बुरी तरह थक जाती है और फिर संबंध बनाने की उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। पर ये बात वो किसी से कह भी नहीं सकती, आखिर हैं तो वो उसके पति ही न।

ये कहानी सिर्फ एक वंदना की नहीं है, बल्कि उसके जैसी हजारों औरतों की है। न चाहते हुए भी उन्हें अपने पति के आगे समर्पित होना ही पड़ता है। लेकिन इसकी शिकायत वो समाज और परिवार से तो दूर, खुद अपने आप से भी नहीं कर पाती हैं। क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये गलत है या नहीं। फिर शिकायत कैसी! भारत में लड़कियों को इसके बारे में कभी बताया नहीं गया। पति परमेश्वर है, इस सीख को घुट्टी की तरह पिला दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें ये अहसास ही नहीं होता कि उनके साथ जो जबर्दस्ती की जा रही है, वो गलत है। न सिर्फ उनके स्वास्थ्य के लिए बल्कि उनकी अस्मिता के लिए भी।

दीपिका झा

(संपादक, मंजरी)

वैसे तो पति द्वारा पत्नी के साथ जबर्दस्ती करने जैसा कोई मामला हमारे समाज में लाया ही नहीं जाता है, लेकिन अब स्थितियां थोड़ी बदली हैं। लड़कियों की शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के कारण वे विवाह के बाद खुद पर होने वाली यौन जबर्दस्ती के खिलाफ मुंह खोलने लगी हैं। हमारे देश में इस मुद्दे ने हाल ही में तब सबका ध्यान खींचा जब कर्नाटक हाईकोर्ट ने वैवाहिक दुष्कर्म को लेकर बड़ी टिप्पणी की। इसी साल मार्च में अपने एक निर्णय में हाईकोर्ट ने कहा ''बलात्कार का मतलब बलात्कार...'' हाईकोर्ट ने कहा कि बलात्कार का मतलब बलात्कार ही होता है, चाहे वो पति ने ही क्यों न किया हो। हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की सहमति के बिना उससे संबंध बनाना गलत है। दरअसल, एक मामले में पति

असल बात

पर अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने पर धारा 376 के तहत केस दर्ज किया गया था। आरोपी पति ने हाईकोर्ट में धारा 376 हटाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि–

♦ संविधान में सभी को बराबर माना गया है, फिर चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या कोई और। आईपीसी की धारा 375 का एक अपवाद दोनों को असमान नहीं कर सकता।

♦ पतियों के पत्नियों पर ऐसे यौन हमलों का महिला पर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों प्रभाव पड़ता है। पतियों की ऐसी हरकतें पत्नियों की आत्माएं झकझोर कर रख देती हैं।

♦ एक पुरुष भले ही वो पति ही क्यों न हो, वो एक पुरुष होता है और उसे आईपीसी की धारा 375 के एक अपवाद के कारण कोई छूट नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा होता है तो यह कानून के प्रावधान में समानता को खत्म कर देगा।

♦ सदियों से माना जाता है कि पत्नी पति की गुलाम होती है। उसके मन, आत्मा और हर चीज पर पति का हक होता है। पति जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकता है। पतियों के ऐसे हमले पत्नियों की आत्मा को झकझोर कर रख देते हैं।

निश्चित तौर पर यह मामला 21वीं शताब्दी का है और इसमें पीड़िता की उम्र और समझ दोनों ही परिपक्व है। सूचना के श्रोत खुले हैं और साथ देने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, जिससे अंततः खुद पर होने वाले अत्याचार को महसूस करने और उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने का हौसला मिलता है। लेकिन देश में वैवाहिक बलात्कार का मामला 19वीं शताब्दी में भी आया था जिसे संभवतः कानूनी तौर पर उठाया जाने वाला पहला ऐसा मामला माना जा सकता है। हालांकि तब उस मामले में पीड़िता की उम्र महज 10 साल की थी और उसका साथ देने वाले लोगों की भी खासी कमी थी। सबसे बड़ी बात कि खुद पर हुए अत्याचार को बताने के लिए पीड़िता जीवित भी नहीं बच पाई थी। 1890 में क्वीन एम्प्रेस बनाम हरि मोहन मैती के मामले में 10 साल की बच्ची फूलमनी दास का विवाह और उसके बाद वैवाहिक बलात्कार के कारण उसकी मौत ने लड़कियों पर अत्याचार के इस पहलू से देश को सार्वजनिक तौर पर रू–ब–रू कराया था। चूंकि उस केस में पीड़िता की उम्र 10 साल थी और भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद उपखंड के तहत पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने को बलात्कार नहीं माना जाता था, अतः कलकत्ता सेशन कोर्ट ने तब फूलमनी के पति को केवल 12 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। 1892 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडॉउन ने काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने एक बिल प्रस्तुत किया जिसे पारित कर दिया गया और सेक्स के लिए सहमति की उम्र को 10 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया। हालांकि वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखने की कवायद पूरी नहीं हो सकी और आज तक जारी है।

2015–16 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में 15 से 49 वर्ष के बीच की 83 प्रतिशत विवाहित महिलाओं ने अपने पतियों पर यौन हिंसा का आरोप लगाया है, जबकि 7 प्रतिशत ने अपने पूर्व पति को इसका अपराधी बताया है। एनएफएचएस –4 की रिपोर्ट के मुताबिक, 4 प्रतिशत महिलाओं को पति द्वारा उस समय जबरन सेक्स के लिए मजबूर किया गया था जब पत्नी करना नहीं चाहती थी, 2.1 प्रतिशत महिलाओं को यौन कार्य करने के लिए मजबूर किया गया था जो वो नहीं चाहती थी, और 3 प्रतिशत को ऐसे यौन कार्य करने के लिए धमकी दी गई थी जिसे वो नहीं करना चाहती थीं। इसी तरह, 2019–21 में किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण –5 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में हर 25 महिलाओं में से एक ने अपने पति द्वारा अक्सर या कभी–कभी यौन हिंसा का शिकार होने की बात कही। इसके अलावा, यह मुद्दा कुछ राज्यों में ज्यादा प्रमुखता से सामने आया और कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम सूची में सबसे ऊपर हैं। सर्वेक्षण में, 18 से 49 वर्ष की आयु की 'कभी न कभी विवाहित' महिलाओं (जो वर्तमान में या पहले कभी विवाहित थीं) से उन हिंसा के बारे में पूछा गया जिसे उन्होंने अपने पति से झेला था। 26 राज्यों में पाया गया कि लगभग 4 प्रतिशत महिलाओं ने अपनी शादी के दौरान यौन हिंसा का सामना करने की बात स्वीकार की थी।

तुम्हारे घर का मामला है तुम खुद संभालो

उत्तर प्रदेश की रहने वाली 22 साल की रितु (बदला हुआ नाम) की अरेंज्ड मैरिज हुई थी। वह अपने होने वाले पति के परिवार के बारे में नहीं जानती थी। शादी के बाद उन्हें अपने पति और वो क्या काम करते हैं, इसकी जानकारी मिली। रितु अपने पति से शारीरिक संबंध बनाने में सहज नहीं थी। रितु के मना करने पर भी उसके पति उनसे जबरन शारीरिक संबंध बनाने लगे, उन्हें शारीरिक प्रताड़ना दी जाने लगी और कई बार उन्हें दवाएं खिलाईं गईं जिससे उन्हें उस वक्त होश नहीं रहता था। रितु ने ये बात जब अपनी मां को बात बताई कि उनके पति उनसे जबरन शारीरिक संबंध बनाते हैं, उन्हें दर्द होता है तो उनकी मां का कहना था कि पति–पत्नी के बीच तो ये होता ही है, इसे जबरदस्ती नहीं कहते हैं, तुम उसे मना करती होगी इसलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा करता होगा।

रितु की काउंसलिंग करने वाली डॉली सिंह कहती हैं, ''आगे चलकर इस मामले में रितु के घरवालों ने ये कहकर मदद करने से इंकार कर दिया कि ये तुम्हारे घर का मामला है। और उसके पति ने उसके साथ पिटाई की और उसे कमरे में बंद कर दिया था।'' डॉली सिंह बताती हैं कि जब रितु को कमरे में बंद किया गया तो उनके पास फोन था। उन्होंने यूट्यूब के ज़रिए हमारी संस्था के बारे में जाना और हमसे संपर्क साधा।''

https://www.bbc.com/hindi/india से साभार

देश–विदेश

सामाजिक कलंक है मैरिटल रेप के बारे में बात करना

अपराध घोषित, फिर भी आसान नहीं मुकदमा

मीरा पटेल

(लेखिका अंततरराष्ट्रीय मामलों की शिक्षाविद हैं और कई अनुसंधान एवं सार्वजनिक नीतियों के लिए काम कर चुकी हैं)

मैरिटल रेप अपने जीवन साथी की सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना है। सहमति का अभाव इसका सबसे मुख्य कारक है और इसमें शारीरिक हिंसा का शामिल होना आवश्यक नहीं है। हालांकि मैरिटल रेप को बड़े पैमाने पर यौन हिंसा के तौर पर नहीं देखा जाता है, और ऐतिहासिक रूप से यौन संबंध बनाना दंपति का अधिकार माना जाता है।

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रकाशन के अनुसार, कई संस्कृतियों में विवाह का उद्देश्य प्रजनन होता है। ऐसी स्थितियों में, दोनों पक्षों के बीच सहमति का होना अनिवार्य नहीं माना जाता है तथा इस तर्क के आधार पर यौन संबंध के लिए भी सहमति कोई मायने नहीं रखता है। इसके अलावा, जिन देशों में वधू मूल्य का प्रचलन है, वहां उस मूल्य को पत्नी के साथ संबंध बनाने के भुगतान के रूप में देखा जाता है।

मैरिटल रेप की व्यापकता उस देश के वैधानिक और सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करती है, जिस देश के बारे में बात की जा रही हो। 1999 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ताजिकिस्तान में महिलाओं पर हो रही घरेलू हिंसा को लेकर एक अध्ययन किया। सर्वे में शामिल 900 महिलाओं में से 47 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें अपने पति के साथ संबंध बनाने के लिए विवश किया जाता है। हालांकि, पश्चिमी देशों में यह संख्या कम है। 2009 में यूरोपीय यूनियन के नौ देशों के अध्ययन में पाया गया कि सभी प्रकार के यौन प्रताड़ना के 25 प्रतिशत मामलों में वर्तमान और पूर्व के साथी दोषी थे।

पीड़िताओं के अनुभवों के आधार पर, विशेषज्ञ बताते हैं कि मैरिटल रेप के प्रभाव भयानक हो सकते हैं। बलात्कार के अन्य रूपों के विपरीत, यहां पीड़िता को अपराधी के साथ ही रहना होता है और ज्यादातर वो उसपर आर्थिक रूप से निर्भर भी होती है। महिला श्रमिकों की कम भागीदारी और अपेक्षाकृत कम शिक्षित देशों में जिन महिलाओं का मैरिटल रेप होता है, उनके पास अपनी शादी से अलग होने या कानूनी विकल्पों का सहारा लेने का भी रास्ता नहीं होता है। हालांकि इस बात की अक्सर चर्चा नहीं की जाती है, पर पुरुष भी वैवाहिक बलात्कार का शिकार हो सकते हैं और 2000 के एक अध्ययन के अनुसार, 13 से 16 प्रतिशत पुरुष अपने जीवनकाल में विवाहित या सहवास करने वाले भागीदारों द्वारा हमले के शिकार होते हैं।

आंदोलन का इतिहास

जोनाथन हेरिंग के अनुसार, पारिवारिक कानून (2014) में, ऐतिहासिक रूप से, दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में, बलात्कार को पति या पिता की संपत्ति की चोरी के तौर पर देखा जाता था। उन मामलों में, संपत्ति की क्षति का अर्थ था कि अपराध पीड़िता के खिलाफ नहीं हुआ था, बल्कि उसके पति या पिता के खिलाफ हुआ था। इसलिए, इस परिभाषा के आधार पर, एक पति अपनी पत्नी का बलात्कार नहीं कर सकता था क्योंकि वह उसकी संपत्ति थी। इसके अलावा, 20वीं शताब्दी तक, अमेरिकी और अंग्रेजी कानून के तहत, कानूनी सिद्धांत एक प्रकार का आवरण था, जिसका अर्थ था कि शादी के बाद, एक महिला के कानूनी अधिकार उसके पति के अधिकारों में समाहित हो जाते थे।

कैलगेरी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जेनिफर कोशान अपने पत्र में मैरिटल रेप करने के पुरुषों की प्राचीन इम्यूनिटी के पीछे के कारणों के बारे में बताते हैं। पहला, निहित सहमति का सिद्धांत, जो कहता है कि महिला ने विवाह की सहमति देते वक्त ही उसके साथ यौन संबंध बनाने की सहमति दे दी थी। दूसरा सिद्धांत, जिसके बारे में पहले चर्चा की जा चुकी है कि एक पत्नी पति की संपत्ति होती है, इसलिए उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है। कोशान के अनुसार, अन्य तर्क विवाह संबंध के भीतर यौन संबंध बनाने में असहमति को साबित करने की जटिलता पर केन्द्रित थे। तलाक की कार्यवाही को अपने पक्ष में करने के लिए महिलाओं द्वारा झूठ बोलने की प्रवृत्ति पर फोकस किया जा रहा था और विवाह संबंध की अखंडता को बनाए रखने के लिए ये तर्क दिया जा रहा था कि मैरिटल रेप

बलात्कार के अन्य रूपों की तुलना में कम गंभीर है और महिलाओं को अपमानजनक रिश्ते से बाहर निकलने के लिए अन्य कानूनी प्रावधानों का सहारा लेना होगा।

नारीवादी आंदोलनों की शुरुआत से आया बदलाव

इस प्रकार की सोच को 19वीं सदी में नारीवादी आंदोलनों की शुरुआत के साथ ही चुनौती दी जाने लगी। लुसी स्टोन जैसी नारीवादियों ने सार्वजनिक तौर पर सेक्स के बारे में बात करने के निषेध को इस तर्क के साथ मानने से इंकार कर दिया कि विवाह के बाद शारीरिक संबंधों को नियंत्रित करने का महिलाओं का अधिकार समानता का मूलभूत घटक है। 1960 और 70 के दशक तक, ज्यादातर पश्चिमी देशों ने बलात्कार की परिभाषा से वैधानिक छूट को हटाकर या मैरिटल रेप को एक अपराध के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित करके इसे अपराध घोषित कर दिया। सोवियत संघ (1922) वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने वाला सबसे पहला देश था जबकि इंग्लैंड (1991) और अमेरिका (1993) ऐसा करने वाले अंतिम पश्चिमी देशों में से थे। इंग्लैंड में, आर बनाम आर के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए अदालत ने पति–पत्नी को बलात्कार के आरोपों से छूट देने वाले कानून के एक हिस्से को खारिज कर दिया। अमेरिका में, राज्य इस विषय को लेकर अपने स्वयं के कानून बनाने के लिए स्वतंत्र थे। कुछ ने इसे केवल तब एक अपराध माना जब इसमें जबर्दस्ती शामिल होता है, जबकि अन्य ने विवाह के बाहर होने वाले बलात्कार के लिए लागू होने वाली सीमाओं की तुलना में इस कानून को छोटा रखा। ये कानून समय के साथ विकसित हुए हैं, और आज, दक्षिण कैरोलिना एकमात्र ऐसा अमेरिकी राज्य है जो मैरिटल रेप के मामले में अत्यधिक जबर्दस्ती किए जाने का प्रमाण मांगता है।

150 देशों में मैरिटल रेप अपराध घोषित

2019 तक, 150 देशों में मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया जा चुका है। हालांकि, कुछ देशों में, खासकर जिन्हें 1860 की भारतीय दंड संहिता विरासत में मिली है (जैसे कि सिंगापुर, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका) कानून कहता है कि विवाह के बाद जबर्दस्ती बनाए गए शारीरिक संबंध को बलात्कार नहीं कहा जा सकता है। भारत और बांग्लादेश जैसे कुछ देशों में कानून मैरिटल रेप से तभी मना करता है जब पत्नी एक खास उम्र से छोटी होती है। श्रीलंका जैसे अन्य देशों में, कानून अपने वैवाहिक साथी के बलात्कार को तभी मानता है जब दंपति कानूनी तौर पर अलग हो जाते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो मर्द और औरत दोनों के भीतर बसा हुआ सामाजिक लांछन का भय है। पोपुलेशन काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कई दक्षिण एशियाई देशों में महिलाओं में इस बात का डर होता है कि यदि वे अपने पति को शारीरिक संबंध बनाने से मना करेंगी तो उनकी पिटाई हो सकती है। इसके अलावा, कई विकसित देशों में, महिला और पुरुष दोनों ही इस बात को मानते हैं कि पति को यह अधिकार है कि वह जब चाहे पत्नी से संबंध बना सकता है। माली में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार, 74 प्रतिशत औरतों ने माना कि अगर पत्नी पति की मांग के हिसाब से संबंध बनाने से इंकार करती है तो पति के द्वारा उसकी पिटाई किया जाना जायज है। यूएन की एक फैक्टशीट के मुताबिक, बांग्लादेश जैसे देशों में 15 की उम्र तक लड़कियों का विवाह करा दिया जाता है, और उसके बाद पूरे जीवन वो अपने पति पर निर्भर रहती हैं। वे पति से न तो तलाक लेना चाहती हैं और न ही उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती हैं क्योंकि उन्हें सामाजिक कलंक लगने और आर्थिक तौर पर असहाय हो जाने का डर रहता है।

गैरकानूनी, फिर भी मुकदमा चलाना मुश्किल

यहां तक कि उन देशों में भी जहां मैरिटल रेप गैरकानूनी है, वहां इस पर मुकदमा चलाना मुश्किल होता है। 1999 में कनाडा में हुए एक सर्वे में पाया गया कि यौन प्रताड़ना के 78 प्रतिशत मामलों की रिपार्ट दर्ज नहीं कराई गई। कुछ देशों में सांस्कृतिक मूल्य इतने हावी होते हैं कि यह जानते हुए भी कि मैरिटल रेप गैरकानूनी है, लोग इसे अपराध नहीं मानते हैं या इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में कहा गया कि हंगरी में 1200 लोगों पर किए गए अध्ययन में 62 प्रतिशत लोगों को पता नहीं था कि मैरिटल रेप एक दंडनीय अपराध है। मैरिटल रेप का मुकदमा चलाना जटिल भी है क्योंकि इस बात को साबित करना अत्यंत मुश्किल है कि सेक्स के लिए सहमति दी गई थी या नहीं। 2016 के एक रिसर्च पेपर में रकेल केनेडी बर्गेन ने कहा है कि मैरिटल रेप को कहीं न कहीं दूसरे बलात्कारों की तुलना में कम निंदनीय माना जाता है। भले ही मुकदमे को भली–भांति चलाया गया हो, फिर भी अदालतें इस आधार पर हल्की सजा देती हैं कि यदि यौन प्रताड़ना विवाह संबंध के भीतर होती है तो वो कम गंभीर मामला है। एक वयस्क पत्नी जो आधिकारिक या अनाधिकारिक तौर पर पति से अलग रह रही है, उसके साथ बलात्कार करना दंडनीय अपराध है और इसके लिए 2 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए कानून के अनुसार, वे महिलाएं जिन्हें पति के द्वारा यौन प्रकार की प्रताड़ना, अमानवीयता, अपमान या हिंसा का सामना करना पड़ता हो, वे अपने पति से आर्थिक क्षतिपूर्ति, भत्ता और बच्चों के संरक्षण की मांग कर सकती हैं।

https://indianexpress.com से साभार

ऐप एक काम अनेक

पटना शहर को साफ स्वच्छ बनाने के लिए
'क्लीन पटना ऐप' डाऊनलोड करें

GET IT ON Google Play
Clean Patna App
डाऊनलोड करे

- अपनी शिकायत का स्टेटस जानें
- शिकायत दर्ज करें
- गाड़ी को ट्रैक करें
- बिल देखें

हेल्पलाइन नंबर
155304

स्वच्छ पटना
शहर अपना

कुछ हम करें, कुछ आप करें

1952 पटना नगरपालिका
CITY OF PATNA

पटना नगर निगम द्वारा जनहित में जारी

हेल्पलाइन नंबर 155304
पटना नगर निगम द्वारा जनहित में जारी

SWACHH SURVEKSHAN 2022

कुछ हम करें, कुछ आप करें

स्वच्छ पटना
शहर अपना

हकीकत

ये कहानी नहीं है

सच है उन लाखों स्त्रियों का, जिन्हें घरेलू हिंसा का वो रूप झेलना पड़ता है जिसे वे बयान भी नहीं कर पाती।

सरिता निर्झरा

(लेखिका मंथन फाउंडेशन की संस्थापक सदस्य हैं। वे एक शिक्षिका और पत्रकार भी हैं।)

सारा दिन काम में उलझे हुए भी उसकी मुस्कराहट ज्यों की त्यों बनी रहती थी। दिन भर के तमाम काम, उलझने, शिकायतें सबको सब्र से सुलझा लेती लेकिन रात में उसके सब्र का इम्तेहान होता था। जिस रिश्ते के मोह प्रेम में अपने बचपन का घर, माता–पिता सब छोड़ कर वो एक मकान को घर बनाती है, उस रिश्ते में के प्रेम से सिहरती थी। प्रेम कहाँ था वो? शरीर को मसलते हुए बिस्तर की सलवटों में उसकी सांसें अटक कर रह जातीं। आँखे बंद कर कभी तो ठंडे गोश्त सी वो अलाव गुज़रने का इन्तेज़ार करती और कभी आंखें मींच कर जिस्म की नसें तान लेती। काठ का शरीर हो जाता और धकेल दी जाती बिस्तर से। ''पत्नी का सुख तक नहीं दे सकती!'' एक ताना कानों से होता हुआ सीने में उतरता और कपड़े संभालती वो सुबह का इंतज़ार करती।

घरेलू हिंसा पर समाज की चुप्पी धीमी गति से टूटने लगी है। साथ कितना दिया जाता है ये सोचने वाली बात है, लेकिन क्या हर घरेलू हिंसा ज़ाहिर होती है? हिंसा केवल शारीरिक तौर पर मारना ही नहीं होता, मानसिक एवं भावनात्मक हिंसा हमारे घरों में उठान पर है जिस पर बात नहीं होती। इन सबसे इतर विवाह संबंध की नींव में रखे गए शारीरिक संबंध भी हिंसक हो सकते है। जबरन शारीरिक संबंध बनाना क्या हिंसा नहीं है? विवाह संबंध की नींव में शारीरिक संबंधो की गर्माहट ही है जो इसमें प्रगाढ़ता लाती है किन्तु इस संबंध में दो इंसान शामिल हैं तो मर्ज़ी किसी एक की कैसे? सवाल बहुत पुराना घिसा–पिटा और बार–बार पूछा जा चुका है किन्तु यकीन जानिए कि सवाल पुराना होने के बावजूद अपनी महत्ता खो नहीं रहा– बल्कि उसकी कोशिश है की जड़ें और गहरी करे।

शयनेसु रम्भा– की व्याख्या करते हुए एक स्त्री के शरीर की महत्ता को विवाह संबंध में बहुत ऊपर रखा गया है। भारतीय समाज में शारीरिक संबंध को विवाह पश्चात् ही मान्यता मिलती है। एक स्त्री का पूरा अस्तित्व उसके पति की खुशी और संतुष्टि और साथ ही वंश आगे बढ़ाने में माना जाता है। इसलिए विवाहित जोड़े के बीच हुए शारीरिक संबंध में स्त्री के साथ की गई जबरदस्ती किसी अपराध के अंतर्गत नहीं आती। एक स्त्री की मर्ज़ी के बिना जबरदस्ती बनाये गए शारीरिक संबंध बलात्कार की श्रेणी में आते हैं किन्तु एक विवाहिता स्त्री अपने विवाह में यह अधिकार नहीं रखती।

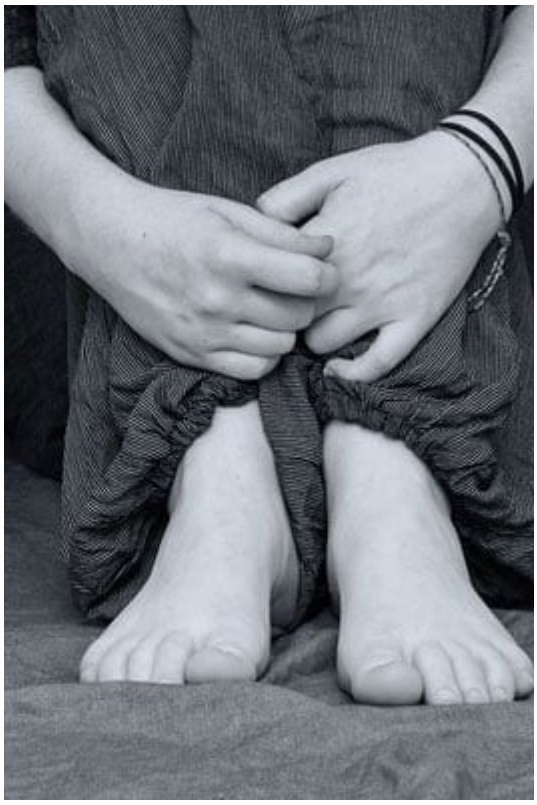

रिश्तों को पेचीदा करता कानून

हमारे देश में क़ानूनी पेचीदगी से सभी भली–भांति वाकिफ हैं। विवाह संबंधों को लेकर कानून की धाराएं एक–दूसरे को काटती सी महसूस होती हैं। जहां एक तरफ समाज विवाह संस्था की पवित्रता पर बात करता है, वहीं कानून ने विवाहेतर संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर रख दिया है। शारीरिक सुख न मिल पाने को तलाक का आधार बनाया गया है किन्तु विवाह में जबरदस्ती बनाये गए संबंध को अपराध नहीं माना गया है। विवाह में दहेज़ के नाम पर पैसे, ज़मीन–जायदाद से कहीं ज्यादा कीमती होती है लड़की की मर्ज़ी, जिसे बिना बोले, उसकी मर्ज़ी जाने बिना दानस्वरूप दे दी

दिया जाता है। विवाह जैसा पवित्र रिश्ता एक स्त्री के हिस्से में बहुत से रिश्तों को लेकर आता है किन्तु विडंबना ये की उसका स्वयं के साथ रिश्ता और अपने ही शरीर पर अधिकार खत्म हो जाता है। हमारा कानून भी इस क्षेत्र में अपनी सीमा बता चुका है। आईपीसी की धारा 1860 सेक्शन 375 के तहत किसी पुरुष द्वारा किसी महिला पर उसकी इच्छा या सहमति के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाना या कोशिश करना बलात्कार माना जाएगा। हालाँकि, इसमें अपवाद हैं जिसके अनुसार, एक पुरुष अपनी पत्नी से उसकी मर्ज़ी के विरुद्ध भी अगर सम्भोग करता है और पत्नी की उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो इसे बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जायेगा।

कुल मिला कर कानून भी विवाह संबंध में शारीरिक संबंधों में जबरदस्ती को मियां–बीवी के बीच बंद कमरे में घटित हुआ उनका आपस का मामला मान लेता है। इस विषय पर बहस अलग–अलग स्वर के साथ होती आई है। जहां एक तरफ स्त्री की मर्ज़ी उसके अपने देह और देह सुख की बात कही जाती है वहीं विवाह में बलात्कार जैसे शब्द को लाकर इन नींव को कमज़ोर बनाने के आरोप भी लगते रहें हैं। किस प्रकार के व्यवहार को आप जबरदस्ती की श्रेणी में डालेंगे यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि डर से किया हुआ समर्पण भी, नैतिक मूल्यों पर हिंसा की श्रेणी में ही आएगा। ये मुद्दा इतनी परतों के नीचे है कि तह तक पहुंचना मुश्किल है। विवाह दो व्यक्तियों के बीच एक अंतरंग संबंध है जिसे सभा में चर्चा में लाने से हर कोई बचना चाहता है। हालाँकि कानून की एक दूसरी धारा के अनुसार स्त्री हिंसा के आधार पर क़ानूनी मदद ले सकती है किन्तु अनभिज्ञता और इससे जुड़ी सामा. जिक वर्जनाएं स्त्री को कमज़ोर बनाती हैं।

स्त्री–पुरुष संबंध देह से परे

शारीरिक संबंध में मात्र देह लिप्त नहीं होती मन और विचार भी होते हैं। एक विवाह संस्था में हर समय सब कुछ सुन्दर सुरम्य नहीं होता। दो लोगों के बीच कायम होता विवाह का ये संबंध इसी मानक पर मज़बूत होता है। साथ ही समय के साथ एक–दूसरे से वैचारिक मतभेद की बर्फ भी शारीरिक संबंधों की गर्माहट से पिघल जाती है। ऐसे में कब और कैसे ये संबंध रिश्ते से परे हिंसा की सीमा में प्रवेश करते हैं इसे समझना ज़रूरी है।

पुरुषसत्ता की सबसे बड़ी हानि जो पुरुषों ने उठाई है वो है उनकी संवेदनशीलता की हानि और अहम की अति। पुरुष अपनी मर्ज़ी अपने फैसले की अवहेलना नहीं सह पाता। इस 'ना' न सुनने की बीमारी के खामियाज़े के तौर पर पुरुष व्यवहार की कठोरता– हिंसा, क्रोध आदि से जूझता है। हमारे समाज में पुरुष का स्थान और उसकी मर्ज़ी को स्त्री से ऊपर ही रखा गया है। यह प्रभुता का दम्भ भी जब इस व्यवहार पर केंचुल की तरह चढ़ता है तब आप समझ नहीं पाते की किस तरह एक सुन्दर संबंध दमन का रूप ले लेता है। इसके साथ ही यौन कुंठा, पत्नी को दबा कर रखना यानि की उस पर अपनी ताकत का रोब दिखाना, ये सब दिमाग के तंतुओं में भरे रहते हैं और किसी एक क्षण में प्रेम मर्यादा के परे जा कर जबरदस्ती से किया सम्भोग मात्र रह जाता है।

शारीरिक हिंसा और भावनात्मक हिंसा

शारीरिक चोट पर लोग दबी ज़बान से सही ऐतराज़ जताने लगे हैं। ये बात अलग है कि जिसके साथ यह हिंसा होती है वो अक्सर बोलने में सालों लगा देती है और कभी–कभी उम्र के साथ स्वीकार कर लेती है कि ''अब कम मारते हैं'', ''मैं ही घर में चुप रहती हूँ'', ''उम्र के साथ बदलाव आया है, अब इन्हें गुस्सा कम आता है'' ये और ऐसी तमाम बातें हमें दबी ज़बान में सुनाई देती हैं।

इसके साथ ही हमारे समाज में, ''मारता ही तो है घर से तो बाहर नहीं किया न ही दूसरी औरत रखी है!'' इस सोच के साथ भी एक तबका रहता है। जिस समाज में शारी. रिक चोट को भी नज़रअंदाज़ किया जाता हो वहां भावनात्मक हिंसा को समझने और स्वीकारने की समझ रखना बेवकूफी है, और मेरिटल रेप को समझना अभी दूर की कौड़ी है। ये एक ऐसा अपराध है जहां स्त्री न सिर्फ शारीरिक चोट सहती है बल्कि उसका भावनात्मक संबल भरभरा कर टूट चूका होता है। वो मानसिक तौर पर खुद को मात्र एक भोग्या के रूप में देखती है जिसका आत्मविश्वास छलनी हो। विवाह संबंध में दो व्यक्तियों की जगह मात्र एक व्यक्ति की मर्ज़ी और दूसरे की देह भर रह जाती है।

इस मुद्दे पर कानून की ज़रूरत है किन्तु उसके पहले बहुत बारीकी से कई कानूनों को समझना होगा और साथ ही समाजिक स्तिथियों को भी समझने की ज़रूरत है। अक्सर हमारे देश में कानून सही की जगह गलत तरीक़े से ही काम में लाये जाते है। ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी कानून भारतीय सामाजिक ढांचे को तोड़ने नहीं बल्कि उसे जोड़े रखते हुए स्त्री पुरुष में समानता और सामान अधिकार की बात करे। साथ ही महिलाओं को अपने क़ानूनी हक के बारे में जागरूक करना भी उन्हें शोषण के खिलाफ मज़बूती देगा।

न्याय की आस

कटघरे में इंतजार करती दैहिक स्वतंत्रता

मैरिटल रेप के मामले में औरतों को कब मिलेगा 'न' कहने का अधिकार

उसे शामों का इंतजार नहीं रहता,
न ही वो सुनहरी सुबह से खुश होती है।
रोज टीस मारती है उसकी आत्मा,
जब भी वो बिस्तर पर होती है।
जानती है बिक चुकी है वो,
प्रेम, परिवार, त्याग जैसे बड़े शब्दों की खातिर।
इसलिए कभी भी,
उसकी 'न' उसकी 'न' नहीं होती है।
वो तो 60 की उम्र में भी,
फकत जिस्म होने का कर्ज चुकाती है।
दफन है वो खुद की देह के भीतर,
रोज मरती है, फिर भी जीती जाती है।

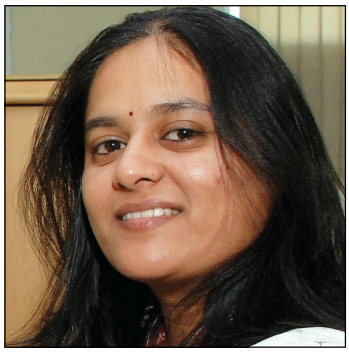

स्वाति शैवाल

(लेखक एक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

कई लोगों के लिए यह निजी जिंदगी से जुड़ा सिर्फ बेडरूम टॉक का विषय है। कुछ लोग इसे वर्जित फल मानकर खारिज कर देंगे तो कुछ लोग इसे अकेले में देखने–सुनने–पढ़ने वाला विषय (जी हां, ऐसी मानसिकता वाले भी बड़ी संख्या में हैं) मानेंगे। तो जनाब, दिल्ली हाईकोर्ट में इन दिनों एक बहुत ही जायज और पीड़ादायक विषय चर्चा में है। ये है मैरिटल रेप का विषय। जो घाव अब तक घर के भीतर, सात तालों में बंद किसी तरह छुपाया जा रहा था, अब उसकी सड़ांध दरवाजे पार करके सड़क पर आ गई है। लेकिन उम्मीद यह है कि शायद यह घाव अब सही मरहम पा सकेगा। दरअसल यह विषय है– मैरिटल रेप यानी विवाह पश्चात पत्नी की अनुमति या रजामंदी के बिना उसके साथ बनाए गए शारीरिक संबंध का।

अव्वल तो हमारे देश की महिलाओं के लिए यह विषय ही सात आसमान पार का आसमानी–सुल्तानी विषय है। याद है न कुछ समय पहले हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्रमांक 5 के पहले चरण का परिणाम? एक बार और उसे ताजा कर लेते हैं। इस सर्वे में दर्जन भर से ज्यादा महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों की 40 प्रतिशत महिलाओं ने यह माना था कि अगर वे अपने पति को संबंध बनाने के लिए मना करती हैं तो पति द्वारा की गई उनकी पिटाई जायज है।

खास बात यह है कि इनमें पढ़ी–लिखी नौकरी करने वाली महिलाएं भी शामिल थीं। वहीं इसके पूर्व हुए इसी सर्वे में केवल एक राज्य के 65 प्रतिशत से अधिक पुरुषों ने यह कहा था कि पत्नी के साथ जबरन सेक्स करना तो पति का अधिकार है। अब भला ये भी कोई सजा दिलाने का मामला हुआ क्या? भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 के अंतर्गत बिना सहमति के किसी भी महिला से शारीरिक संबंध बनाना रेप या बलात्कार की श्रेणी में आता है लेकिन हां, यदि कोई अपनी 15 वर्ष से अधिक की पत्नी के साथ ऐसा करता है तो वो इस श्रेणी में नहीं आता। धारा 375 के अपवाद 2 को लेकर ही दिल्ली हाईकोर्ट में बहस जारी है। यूं यह बहस पिछले कुछ सालों से जारी है लेकिन कई स्थितियां हैं जो इसके निर्णय या निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले पार करनी होंगी। बहरहाल यह एक पुरानी व्यवस्था और पुराना कानून है जिसमें फिलहाल बदलाव की गुंजाइश हो सकती है।

अपराध जिसे हमारे देश में पहचाना ही नहीं गया

दुनिया के कई देशों में यह कानूनन जुर्म है। वहां बलात्कार, बलात्कार ही है चाहे किसी अनजान लड़की से हुआ हो या स्वयं की पत्नी के साथ किया गया हो। सोवियत यूनियन 1922 में ही मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में रखने वाला पहला देश बन गया था। 70 के दशक तक ज्यादातर पश्चिमी देश इस बात को लागू कर चुके थे। उस लिहाज से देखा जाए तो हम बहुत पीछे रह गए हैं। इस मामले में दिल्ली सरकार ने एक और बात कही है। वह यह कि मैरिटल रेप के मामले में महिलाओं के पास और भी तरीके हैं जो वह इस स्थिति में अपना सकती है, जैसे कि तलाक की ओर कदम उठाना या घरेलू उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराना आदि। मगर क्या यह व्यवहारिक रूप से इतना आसान हो सकता है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज अदालतों में देश की आधी से ज्यादा औरतों ने तलाक के लिए केस फाइल कर रखे होते या आधे से ज्यादा आदमी सलाखों के पीछे होते। परंतु ऐसा नहीं है। कारण? हमारे देश मे जब औरतें शराबी पति की पिटाई, दहेज के लिए प्रताड़ना के साथ, नपुंसक या ड्रग एडिक्ट पति के साथ जीवन बिता लेती हैं तो पति द्वारा बलात्कार किया जाना तो उन्हें पति के अधिकार क्षेत्र का ही मामला लगता है। जिसमें न आवाज उठाने की जरूरत होती है, न सुनवाई की गुंजाइश होती है।

ऊपर से कुछ औरतों ने अपने हक में बने कानूनों का ऐसा फायदा उठाया है कि पहले ही झूठी शिकायतों की सजा कुछ निर्दोष भुगत रहे हैं। फिर देश की अदालतों में यूं भी कई लाख केस पेंडिंग हैं जिनमें सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती जाती है। यह मुद्दा जुड़ा है संस्कृति, धर्म और सामाजिक परिस्थितियों से। इसमें हाथ डालना मतलब बर्रे के छत्ते में हाथ डालना।

न्याय की आस

असल में पुरुष प्रधान हमारे समाज में बलात्कार का असल मतलब होता है, औरत को उसकी औकात याद दिलाना कि आखिर तो तुम्हारी 'इज्जत' हमारे हाथ में है। जब चाहे उतार दें। इसलिए औकात में रहना। मैरिटल रेप में तो यह बात आधिकारिक बन जाती है। पति–पत्नी में झगड़ा हुआ, दफ्तर में बहस हुई, राह चलते किसी व्यक्ति से पंगे ले लिए आदि। जब वहां न जीत पाए तो इस हार का बदला चुकाने के लिए घर पर एक अदद पत्नी तो है ही। भले ही वह किसी भी स्थिति में हो, क्या फर्क पड़ता है। हमारा गुस्सा तो उतर गया न!

वे किशोरावस्था के दिन थे और हम अपनी दुनिया में मस्त रहा करते थे। हमारे घर के ठीक बगल वाले घर में एक परिवार रहा करता था। पति–पत्नी और दो बड़े ही प्यारे बच्चे। हमारे वहां शिफ्ट होने के कुछ महीने बाद परीक्षा शुरू हुई और एक रात देर तक पढ़ने के लिए मैं बैठी ही थी कि पड़ोस वाले अंकल की मोटरसाइकिल रुकने की आवाज आई। आंटी की शायद नींद लग चुकी थी। दो बार बेल बजने और फिर थोड़ी तेज आवाज में दरवाजा खटखटाने के बाद शायद आंटी ने दरवाजा खोला। उसके बाद तेज आवाज में दरवाजा बंद हुआ और कुछ ही देर में ऐसा लगा जैसे कोई चीखने की कोशिश में है लेकिन उसका मुंह बंद किया गया हैं। पांच–छह बार बेल्ट के सड़ाक से चलने की आवाजें भी आईं।

डर के मारे मैं अपनी किताब बंद कर लाइट जलाकर ही सो गई। अगली सुबह स्कूल जाने से पहले आंटी के घर की ओर झांका तो सारी आवाजें शांत थीं। फिर शाम को खेलकर आने के बाद जब पानी पीने रसोई में पहुंचे तो मम्मी और दादी को उन आंटी के साथ बैठे फुसफुसाते पाया। जो शब्द मेरे कान में पड़े वो थे– जानवर है भाभी। इतनी बदबू थी शराब की, मुझे उल्टी आने लगी। मैंने मना किया तो बेल्ट निकाल लिया। रातभर ठंडी जमीन पर सोई। बच्चों की नींद न खुल जाए इसलिए मिन्नतें की कि ड्राइंग रूम में ही रहे। मेरा मुंह दबाकर रखा था। इतना बोलकर आंटी मम्मी के कंधे पर सिर रखकर रोने लगीं। उस समय मैं इस घटना को अंकल–आंटी का झगड़ा समझने तक ही पहुंच पाई। बाद में समझ आया कि वह प्रताड़ना तो मार खाने से कहीं ज्यादा दर्दनाक रही होगी।

भारत में ज्यादातर आदमियों के लिए शादी का मतलब है एक ऐसी शारीरिक सुविधा जिसका फायदा वे कभी भी बिना डर, बिना झिझक उठा सकते हैं। आखिर उनकी अपनी ही तो बांदी है, जिसे दो वक्त की रोटी, कुछ कपड़ों और खुशकिस्मत हुईं तो चंद गहनों के एवज में जब चाहे खसोट सकते हैं। हां, इक्का–दुक्का मामलों में यह पुरुषों के साथ भी हो सकता है।

इसलिए जरूरी है कि यह कानून बने और साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि सही शिकायतें ही दर्ज हों। इसके अलावा स्कूल से ही लड़कियों को इस बात को लेकर आत्मविश्वासी बनाने और स्वतंत्रता देने की जरूरत है कि उनकी अनुमति के बिना उनके शरीर को छूने की इजाजत किसी को भी नहीं है, चाहे वो उनका पति ही क्यों न हो।

www.amarujala.com/columns/blog से साभार

पीड़िता पत्नी है, इस आधार पर मुकदमे से नहीं बच सकता पति

इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें मैरिटल रेप मामले में पति के खिलाफ चल रही कार्रवाई को खारिज करने की मांग की गई है। मैरिटल रेप मामले में पति की ओर से उसके खिलाफ दर्ज रेप केस की कार्रवाई खारिज करने की हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने महिला के पति की अर्जी खारिज कर दी जिसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को पति ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोटिस जारी कर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 जुलाई को होगी।

कर्नाटक में एक महिला ने अपने पति पर बलात्कार का आरोप लगाया था जिस पर निचली अदालत ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि बलात्कार को लेकर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए मुकदमे से नहीं बच सकता है कि पीड़िता उसकी पत्नी है। इस फैसले के बाद उन पक्षकारों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई थी, जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे पर दलील दी है। भारतीय बलात्कार कानून के तहत पति को दी गई छूट को रद्द करने का अनुरोध करने वाले एक याचिकाकर्ता के वकील ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया था। बलात्कार के अपराध को परिभाषित करने वाली भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 में अपवाद–2 खंड है, जो कहता है कि पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार नहीं है। हालांकि, इसमें यह भी प्रावधान है कि पत्नी की उम्र 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए।

गरिमा का सवाल

"सुनना होगा इन 'चुप्पियों' को"

'मैरिटल रेप' यानी वैवाहिक बलात्कार, यह शब्द सुनते ही पुरुषों की त्योंरियां चढ़ जाती हैं। ज्यादातर लोगों की प्रतिक्रिया ऐसी होती है, जैसे समाज में यह नया शब्द भूचाल ही ला देगा। जिससे शादी जैसी पवित्र संस्था की नींव हिल जाएगी। इस शब्द को सुन सकारात्मक रह पाना ज्यादातर लोगों के बूते के बाहर की बात होती है। सुननेवालों को ऐसा लगता है कि मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में लाने का अर्थ है महिलाओं की स्वच्छंदता को बढ़ावा देना और पति–पत्नी के बेहद निजी आपसी संबंध की सार्वजनिक रुप से बखिया उधेड़ना।

पितृ सत्तात्मक समाज में विवाह का अर्थ तो यह माना जाता है कि स्त्री के तन–मन–धन पर पति का अधिकार होता है। दरअसल, हमारा समाज पत्नी के अस्तित्व को पति से अलग व्यक्तिगत और स्वतंत्र रुप में देखने–समझने का आदी नहीं रहा है। हमारे समाज में पति और पत्नी को एक ईकाई माना जाता है। पति का सम्मान, पति की खुशी सर्वोपरि होती है। इसे निभाने के क्रम में चाहे पत्नी को अपनी गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार से समझौता करना पड़े तो इसे जायज और स्त्री का कर्तव्य ही माना जाता है। यही कारण है कि मैरिटल रेप के बारे में चर्चा से भी समाज कतराता है। समस्या तब शुरू होती है जब मैरिटल रेप को महिलाओं के प्रति क्रूर हिंसा मानते हुए सजा के प्रावधान की मांग होती है।

मानसी

(लेखिका एक राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र में वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

इतिहास गवाह है कि स्त्री जब–जब हाथ बढ़ाकर अपना अधिकार और सम्मान मांगती है, तब–तब उसे कर्तव्यों का हवाला देकर उसके अधिकारों से वंचित करने की पुरजोर कोशिश होती है। इसी संघर्ष के बीच से नारीवादी आंदोलन का जन्म होता है। बहरहाल, तमाम वर्जनाओं के बावजूद हमारे देश भारत में भी अब मैरिटल रेप के कारण स्त्री मन पर और वैवाहिक जीवन पर पड़नेवाले दुष्प्रभावों के बारे में संवेदनशीलता के साथ विचार करने की बात चल पड़ी है।

भारत में मैरिटल रेप की चर्चा

1976 में ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले मैरिटल रेप को अपराध मानकर दंड का प्रावधान किया गया। 2013 में यूनाइटेड नेशन की ओर से महिलाओं के खिलाफ हर प्रकार की हिंसा रोकने के लिए भारत को भी मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए विचार करने को कहा गया। मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए वर्ष 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर जून में दिल्ली हाईकोर्ट का बहुप्रतीक्षित फैसला भी आया। हालांकि फैसला खंडित रहा। यानी दो जजों में से एक सहमत हुए और दूसरे जज ने असहमति जताई। 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर

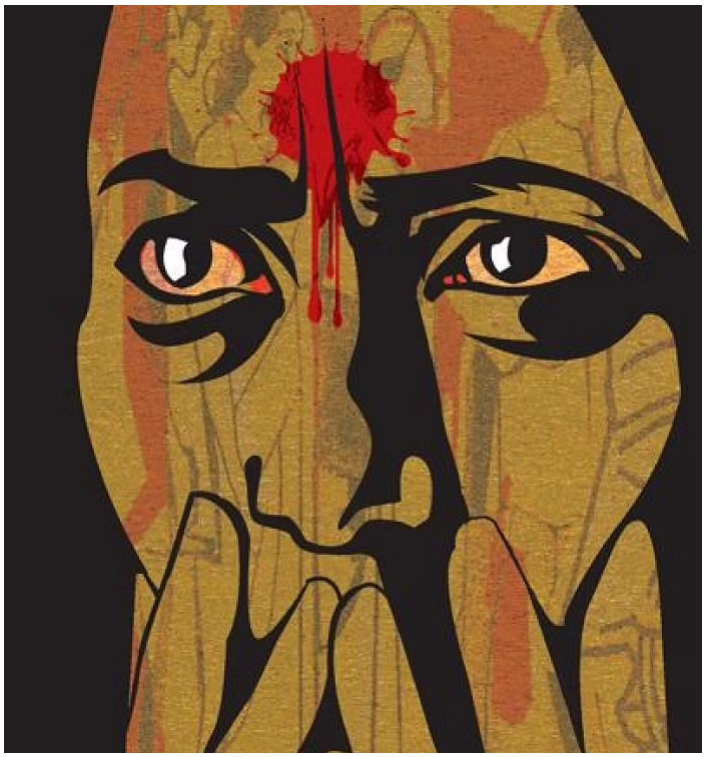

मांग की गई थी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 (बलात्कार की परिभाषा) के अपवाद 2 को संशोधित किया जाए। इसमें कहा गया है कि यदि पति अपनी पत्नी की सहमति के बगैर भी शारीरिक संबंध बनाता है और पत्नी की उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। वर्तमान में भारत में मैरिटल रेप यानी पत्नी की इच्छा, सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में नहीं आता।

गौरतलब है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने मैरिटल रेप पर दायर एक याचिका पर महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि पत्नी से जबरन संबंध बनाना या उसे निर्वस्त्र करना महिलाओं के प्रति हिंसा और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचानेवाली बात है। विधायिका को इन 'चुप्पियों' को सुनना होगा। यह संविधान की धारा 14 के तहत सभी पुरुषों और स्त्रियों को समानता के अधिकार देनेवाले कानून की अवहेलना है। भारत में मैरिटल रेप के आधार पर तलाक तो लिया जा सकता है, मगर भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के प्रति इस हिंसा के लिए दंड देने का कोई प्रावधान नहीं हैं।

मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में लाने की वकालत करनेवालों का कहना है कि पत्नी को पीटना या दहेज आदि के लिए उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना तो दंडनीय अपराध है, मगर उसके प्रति हिंसा के क्रूर रूप बलात्कार को यदि वह पति करे तो अपराध नहीं है। लैंगिक समानता के पैरोकारों का मानना है कि

संविधान की इस असंगति को दूर किया जाना चाहिए ताकि वयस्क महिलाओं को भी सुरक्षा और गरिमा के साथ जीने का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके।

मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में लाने की जरूरत क्यों

कई ऐसी भी महिलाएं हैं, जो इस पीड़ादायक अनुभव से गुजरीं मगर दिल की इस टीस को अपने मन के किसी अंधेरी कंदरा में दबाकर जीना सीख लिया। हालांकि इस टीस का मनौवैज्ञानिक और शारीरिक कुप्रभाव तो पड़ना तय है।

केस स्टडी 1– रीना कुमारी (काल्पनिक नाम) अपने पहले बच्चे को जन्म देने मायके आई। बच्ची के जन्म के बाद माता–पिता जब भी ससुराल जाने की बात करते, वह उदास हो जाती। माता–पिता पर वह बोझ ना बने यह सोचकर उसने फिर से एक जॉब पकड़ ली। जॉब और बच्ची के लालन–पालन का हवाला देकर वह ससुराल जाने में अक्सर टाल–मटोल करने लगी। इस बीच सहेली ने महसूस किया कि रीना खुश नहीं रहती, उसमें घूमने–फिरने या खाने या शॉपिंग आदि के प्रति पहले जैसी रुचि नहीं दिखती। एक दिन पूछा तो रीना का दर्द फूटकर बाहर आया। उसने बताया कि उसकी अरेंज मैरिज है। वह पढ़ी–लिखी थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। शादी के बाद वह पहले पति से दोस्ताना व्यवहार और प्यार के बाद शारी. रिक संबंध चाहती थी। उसका पति पहली रात तो मान गया, मगर दूसरे दिन अपने दोस्त के यह कहने पर कि क्या एक महिला को काबू नहीं कर सका, वह नहीं माना। पति ने उसकी भावनाओं को तार–तार करते हुए जबरन उससे शारीरिक संबंध बनाया। 'यह रेप था, मेरा रेप मेरे पति ने ही किया है। मैं इस फीलिंग के साथ कैसे खुश रहूं', यह कहकर वह फूट–फूटकर रोने लगी। उसने बताया कि पति के व्यवहार के कारण वह उसके साथ सहज नहीं रह पाती। वह खुद को बेबस महसूस करती है, आखिर वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करें।

केस स्टडी 2– घर में शोक का माहौल था। घर के एक वरिष्ठ सदस्य के तेरहवीं के दिन दिशा (काल्पनिक नाम) के पति ने उसे कमरे में बुलाया। मेहमानों के साथ बैठी दिशा को थोड़ी देर क्या हुई, वह आया और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कमरे में ले गया। दूसरे दिन दिशा को घरवालों के बीच पति के इस व्यवहार के कारण काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जेठानी के पूछने पर रो पड़ी। बताया कि पति किसी चीज की लिहाज नहीं करते। इन्हें बस अपनी मर्जी पूरी करनी होती है। एक बार तो डेढ़ वर्षीय बेटे के सामने साड़ी खींच दी। दिशा भावनात्मक रूप से काफी टूट गई थी। वह अपनी मानसिक स्थिति के कारण अपनी व बच्चे की देखभाल में खुद को असमर्थ और असामान्य महसूस करती। लगातार ऐसी स्थिति के कारण वह अवसादग्रस्त हो गई।

यही कारण है कि महिलाओं को आत्मसम्मान और सुरक्षा की भावना से जीने के अधिकार देने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मैरिटल रेप को अपराध मानकर दंड का प्रावधान किए जाने की मांग की है।

हम एक विसंगति को हावी नहीं होने दे सकते: रेबेका जॉन

आईपीसी की धारा 375 में दिए गए अपवाद के तहत अपनी पत्नी के साथ एक पुरुष द्वारा यौन संबंध या यौन क्रिया, पत्नी की उम्र 15 वर्ष से कम नहीं होने की सूरत में बलात्कार नहीं मानी जाती है। दिल्ली उच्च न्यायालय में मैरिटल रेप के अपराधीकरण को लेकर चल रहे मामले में अदालत की टिप्पणी पर न्यायमित्र और वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा कि इस पर आईपीसी की धारा 377 लागू नहीं होती।

जॉन ने कहा, ''अगर हम एक अपवाद को देखते हैं तो हम एक विसंगति को हावी नहीं होने दे सकते।'' जॉन ने कहा कि पतियों को धारा 375 के तहत मिले अपवाद में महिला की 'सहमति' की शर्त निहित है। वे धारा 375 में बताए गए दो अपवादों की बात कर रही थीं। पहला अपवाद चिकित्सा प्रक्रियाओं या एक महिला के शरीर में हस्तक्षेप के लिए है। उन्होंने बताया कि किसी मेडिकल हस्तक्षेप के लिए महिला की सहमति आवश्यक है। इसलिए, अपवाद 1 में सहमति निहित है। इसी तरह, दूसरा अपवाद, जो वैवाहिक यौन संबंधों से जुड़ा है, वह भी सहमति पर आधारित है। जॉन ने तर्क दिया कि अगर दूसरे अपवाद से सहमति को नकार दिया जाता है तो यह बेतुका हो जाएगा। इससे पहले अन्य न्यायमित्र एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने अदालत से कहा था कि विवाह संस्था की रक्षा और दुरुपयोग की आशंका वैवाहिक बलात्कार को भारतीय दंड संहिता के तहत अपवाद मानने का आधार नहीं हो सकते।

उल्लेखनीय है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 (बलात्कार) के तहत प्रावधान किसी व्यक्ति द्वारा उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंधों को बलात्कार के अपराध से छूट देता है, बशर्ते पत्नी की उम्र 15 साल से अधिक हो। न्यायमित्र ने इसके पहले कहा था कि एक विवाहित महिला को अपने पति पर मुकदमा चलाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, अगर उसे लगता है कि उसके साथ बलात्कार किया गया था। साल 2017 में केंद्र सरकार ने इस मामले में दायर अपने पहले हलफनामे में कहा है कि वैवाहिक बलात्कार को एक आपराधिक उल्लंघन नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यह एक ऐसी घटना बन सकती है जो विवाह की संस्था को अस्थिर कर सकती है और पतियों को परेशान करने का सरल औजार बन सकती है।

विचार

वैवाहिक बलात्कार : कानून के तर्क–वितर्क

"भारत में पहले से ही महिलाओं को कानूनी रूप से काफी तरजीह दी गई है, अलग से वैवाहिक बलात्कार अपराध श्रेणी में लाने से झूठे मुकदमों को बढ़ावा मिल सकता है"

एक बार फिर वैवाहिक बलात्कार चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि बात भारतीय संस्कृति, सामाजिक दृष्टिकोण और व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़ी हुई है। लेकिन इस विषय की संवेदनशीलता और प्रासंगिकता दोनों सवालों के घेरे में है। इसकी जटिलता दिल्ली हाइकोर्ट के फैसले से भी पता चलती है। उसके विभाजित फैसले से साफ पता चलता है कि कानूनी दृष्टिकोण से भी यह विवादास्पद है। दिल्ली हाइकोर्ट की दो जजों वाली बेंच में भी वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखने पर सहमति नहीं बन पाई।

न्यायाधीश राजीव शकधर के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में दिया गया अपवाद न सिर्फ असंवैधानिक बल्कि आधारहीन भी है। दूसरे न्यायाधीश हरिशंकर ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कानून में किसी भी तरह का बदलाव विधायिका द्वारा किया जाना उचित है, क्योंकि इस पर सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी रूप से विचार की आवश्यकता है।

अभिनव नारायण झा

(लेखक अधिवक्ता हैं और इस मामले के विशेषज्ञ हैं)

भारतीय दंड संहिता में रेप यानी बलात्कार के लिए कठोर प्रावधान है। धारा 375 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी भी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना, डर दिखाकर, शादी का झांसा देकर या फिर महिला की मानसिक स्थिति ठीक न रहने पर यौन संबंध स्थापित करता है, तो उसे बलात्कार की संज्ञा दी गई है। इसी के साथ 16 साल से कम उम्र की महिला के साथ सहमति और सहमति के बिना भी यौन संबंध स्थापित करना बलात्कार की श्रेणी में रखा गया है। दूसरी तरफ धारा 375 के अपवाद 2 में कहा गया है कि "किसी पुरुष द्वारा पत्नी के साथ संभोग या यौन कृत्य, यदि पत्नी की उम्र पंद्रह वर्ष से कम नहीं है, बलात्कार नहीं है।" 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस आयु सीमा को बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया था।

ऐसी बहुत सारी धाराएं हैं, जिन पर प्रश्नचिह्न है। बलात्कार और वैवाहिक बलात्कार दो अलग चीजें हैं। अगर स्वतंत्र रूप से नजर डाली जाए, तो हम कह सकते हैं कि विवाह के बाद भी प्रत्येक व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर चाहे वह महिला हो या पुरुष। 1861 की भारतीय दंड संहिता खुद ही सवालों के घेरे में है। समय–समय पर इसकी प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़े हुए हैं। समय आ गया है कि अंग्रेजों के समय बने इस कानून की समीक्षा हो और सारे पहलुओं पर बहस की जाए। आपराधिक संहिता प्रक्रिया, 1973 की धारा 198बी के तहत कोई भी न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 376बी के तहत ऐसे दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, जहां व्यक्ति वैवाहिक संबंध में है– केवल उन तथ्यों की प्रथम दृष्टया संतुष्टि के अलावा, जो पत्नी द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने या उसके खिलाफ की गई शिकायत पर आपराधिक लगे। ये सारे कानून वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक मानने से इंकार करते हैं।

अपराध बनाने से क्या अड़चनें

भारत में पहले से ही महिलाओं को कानूनी रूप से काफी तरजीह दी गई है। वैवाहिक बलात्कार को कहीं न कहीं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 और भारतीय दंड संहिता की धारा 498(ए) में शामिल किया जा सकता है। अलग से वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में लाने पर झूठे मुक. दमों को बढ़ावा मिल सकता है। इससे न सिर्फ न्यायालय का बोझ बढ़ेगा बल्कि कानून के दुरुपयोग में भी बढ़ोतरी होगी।

अधिनियमों और कानूनी अनुच्छेद से एक बात साफ है कि कानून में महिलाओं के लिए उचित प्रावधान हैं। पत्नी के पास पहले से यह अधिकार मौजूद है कि वह वैवाहिक बलात्कार को भी इसमें शामिल कर शिकायत कर सकती है। दूसरी तरफ इस कानून और अधिनियम का गलत इस्तेमाल भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिर पति–पत्नी के बीच वैवाहिक बलात्कार को न्यायालय या अन्य एजेंसियां कैसे साबित करेंगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बंद कमरे में पति–पत्नी की असहमति के बीच किसी को दाखिल होने का अधिकार नहीं होता। अगर होगा तो इसे दो व्यक्तियों के निजी जीवन में हस्तक्षेप का उल्लंघन माना जाएगा। इसके साथ पहले से ही मौजूद घरेलू उत्पीड़न और यौन शोषण को लेकर कानून एक–दूसरे से जुड़ा है। पति और पत्नी के बीच संबध को व्यापक रूप दिया गया है और इसमें त्याग की भावना भी होती है। यह त्याग दोनों तरफ से देखा जा सकता है। वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखने से पति–पत्नी के बीच रिश्ते पर प्रभाव पड़ेगा। इस बात में कोई संदेह नहीं कि कुछ सही मामले सामने आएंगे लेकिन बात विश्वसनीयता पर आकर ठहर जाएगी।

अपराध की श्रेणी में रखने के तर्क

दिल्ली हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति शकधर ने फैसला सुनाते हुए लिखा कि किसी भी समय पर सहमति वापस लेने का अधिकार महिला के जीवन

और स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। इसके साथ ही प्रत्येक महिला को अपने शारीरिक और मानसिक अस्तित्व की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। वैवाहिक बलात्कार न सिर्फ शारीरिक निशान छोड़ता है बल्कि यह पीड़िता के मानसिक संतुलन पर भी गहरा प्रभाव डालता है। धारा 375 में मौजूद अपवाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का भी खुलेआम उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 15 भी इससे प्रभावित होता है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं और बच्चों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान की भी बात की गई है। सारे नियम और कानून हालांकि हकीकत से काफी दूर जाते नजर आते हैं।

जो कानून कभी महिलाओं के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए थे वे वास्तव में लंबे समय से उनके उत्पीड़न को बयां कर रहे हैं। विवाह के बाद बिना सहमति के यौन संबंध स्थापित करना एक तरह से महिला की व्यक्तिगत पहचान और उसकी दैहिक स्वतंत्रता पर प्रश्नचिह्न खड़े करता है।

दूसरे देशों में वैवाहिक बलात्कार की स्थिति

एमनेस्टी इंटरनेशनल के आंकड़ों के मुताबिक, 185 देशों में से 77 देश (42 फीसदी) वैवाहिक बलात्कार को कानून की नजर में अपराध मानते हैं। बाकी बचे देशों में इसका या तो उल्लेख नहीं है या स्पष्ट रूप से वैवाहिक बलात्कार को रेप कानून से बाहर रखा गया है। घाना, भारत, इंडोनेशिया, जॉर्डन, लेसोथो, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका और तंजानिया जैसे दस देश स्पष्ट रूप से किसी महिला या लड़की के पति को वैवाहिक बलात्कार की अनुमति प्रदान करते हैं। 74 देशों में महिलाओं को अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की अनुम. ति प्रदान की गई है, तो वहीं 185 में से 34 देशों में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। लगभग एक दर्जन देश बलात्कारियों को अपने पीड़ितों से शादी करके अपराध से बचने की अनुमति देते हैं।

सभी ने अपराध बनाने से किया इनकार

2012 में हुए दर्दनाक निर्भया गैंगरेप के बाद जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखने की बात की थी। वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, 2010 के एक अध्ययन से पता चलता है कि 18.80 फीसदी महिलाओं के साथ उनके साथी एक या उससे अधिक अवसरों पर बलात्कार करते हैं। कमेटी ने यह भी कहा था कि विवाह बलात्कार के खिलाफ वैध बचाव नहीं है। इससे साफ हो जाता है कि कमेटी ने इसे अपराध की श्रेणी में रखने की पुरजोर सिफारिश की थी। लेकिन तत्कालीन सरकार ने उनकी इस सिफारिश को नजरंदाज कर दिया।

साल 2015 में संसद में भी यह मुद्दा उठा। संसद सत्र में इस बारे में पूछे जाने पर तत्कालीन गृह राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी ने कहा, "वैवाहिक बलात्कार को देश में लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि भारतीय समाज में विवाह को संस्कार या पवित्र माना जाता है।" इसी तर्क को आगे जारी रखते हुए तत्कालीन केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कृष्ण राज ने 2017 में कहा कि केंद्र सरकार अपवाद हटाने के खिलाफ है।

कुल मिलाकर देखा जाए, तो वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक रूप देने की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चलने वाली है। लेकिन हाल के दिनों में केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। अब आगे देखना होगा कि इसमें विधायिका की कार्यशैली किस प्रकार रहती है। जहां तक इसके आपराधिक दृष्टिकोण की बात है, तो इस पर बहस की जरूरत है। इसमें व्याप्त कमियों को उजागर कर इसे सही दिशा प्रदान करने की भी जरूरत है। क्योंकि अगर इसे अपराध की संज्ञा दी गई, तो यकीन मानिए बहुतायत मात्रा में इसके दुरुपयोग सामने आएंगे और वैवाहिक जीवन की सरलता पर व्यापक असर देखने को मिलेगा।

www.outlookhindi.com से साभार

''मेरी नानी का मैरिटल रेप''

तन्वी

''मेरे नाना की मौत के बाद नानी से फोन पर मेरी लंबी बात हुई। ये शायद पहली बार था जब मैंने उनसे इतनी लंबी बात की थी। नाना के साथ उनके वैवाहिक संबंध के बारे में जानने की मुझे उत्सुकता थी। उन्हीं दिनों एक बार मैं अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ नानी के घर गई थी लेकिन नानी ने मुझे उसके कमरे में सोने नहीं दिया और मेरे और अपने लिए अलग कमरे की व्यवस्था की। उन्होंने सख्त लहजे में कहा था, ''एक औरत का चरित्र उसका सबसे बड़ा अधिकार क्षेत्र होता है।'' मैंने नानी को समझाया था कि अब समय बदल गया है। सेक्स करना अधिक सहज हो गया है। आपके साथी को आपकी जरूरतों और आपकी इच्छा का अहसास होता है। तब नानी ने कहा, ''हमें तो यही सिखाया गया था कि उसको जो करना है, करने देना। ना मत करना। और यही हुआ भी। पहली रात को नाना कमरे में आए तो सीधे कपड़े उतारने का आदेश दे दिया और मुझे करना पड़ा।'' नानी की इस बात ने शायद जितना नानी को दुख को नहीं पहुंचाया होगा उससे ज्यादा मुझे दुख पहुंचाया। नानी के लिए यह सब भयानक तो था लेकिन बहुत आम था। ऐसा तो सबके साथ हुआ था। नानी ने बताया, ''गुड्डी मौसी जब शादी के अगले दिन वापस आई, तो इतना रोई की चुप ही ना हो। उसके पति ने एक नहीं, तीन–चार बार उसके साथ जबर्दस्ती वो काम किया। गुड्डी घर जाने के लिए तैयार ही न हो। फिर बाकी सबने उसको बताया कि ऐसा तो होता ही है। मीना, मोनू, बबीता, आशा, एकता सबने इसे बर्दाश्त किया था।'' नानी ने कहा कि वो अब जाकर इस बारे में बात कर सकती हैं जबकि नाना मौजूद नहीं हैं। उनके सामने इस बारे में बोलने पर ऐसा लगता कि वो उनके साथ छल कर रही हैं। उन्होंने बताया कि मेरी एक और मौसी शारीरिक संबंध बनाने से बहुत घबराती थी। शादी के बाद उन्होंने दस दिनों तक पति को संबंध बनाने से रोक रखा था। फिर एक दिन उनके पति उन्हें कश्मीर ले गए और होटल में जाकर कहा, ''अब चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, यहां कौन आएगा तुम्हें बचाने।'' ये बलात्कार नहीं तो और क्या है। मेरी एक और मौसी ने मुझे बताया कि उनके पति को रोज संबंध बनाना होता था। उन्हें न तो पीरियड में छुट्टी मिलती थी और न ही बीमार पड़ने पर। थकी होने या मन नहीं होने का तो कोई सवाल ही नहीं था। जब मौसी ने नानी से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि वो भाग्यशाली है कि उसका पति कम से कम किसी और के साथ तो संबंध नहीं बनाता है। नानी को डर था कि अगर मौसी उन्हें मना करेगी तो उसका पति किसी और के साथ जुड़ जाएगा।

मेरी नानी, मौसी या दूसरी औरतें अपने बच्चों को संभालने, घर का सारा काम करने, खाना बनाने और तमाम घरेलू कामों को निबटाने के बाद भी पति की मांगों को पूरा करने के लिए विवश होती हैं। फिर चाहे वो उम्र के किसी भी पड़ाव में क्यों न हों। मैं एक ऐसे परिवार में जन्मी जहां अरेंज मैरिज को माना और मनाया जाता है। लेकिन उन परिवारों में मैंने घरेलू हिंसा के कई आकार और रंगों को देखा है। मुझे दुख है कि मैं एक ऐसे समाज का हिस्सा हूं।''

(प्रस्तुत आलेख www.feminisminindia.com में प्रकाशित लेखिका के अंग्रेजी आलेख का अनुवादित अंश है)

अफसोस

न परिवार साथ आता है, न पुलिस

हालात को और खराब कर रहीं संस्थाएं पीड़िताओं को नहीं मिलता है सहयोग

''हां, वो मेरे पति हैं, तो क्या इसका मतलब है कि वो मेरा बलात्कार कर सकते हैं?'' मैरिटल रेप के खिलाफ बहस बस इतनी ही है। ये मायने नहीं रखता है कि आरोपी कोई अनजान अजनबी है, या सालों से आपके साथ रह रहा आपका पति; किसी व्यक्ति को जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करना बलात्कार है।

मैरिटल रेप और घरेलू हिंसा से पीड़ित रीता (काल्पनिक नाम) जब थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने गई तो उसे बताया गया कि चूंकि वो उसका पति है इसलिए उसकी मांगों को पूरा करना रीता का फर्ज है। जब रीता ने अपनी बात को मजबूती से रखते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसका पति है, उसे बलात्कार करने का कोई हक नहीं है, तो परिवार, समाज और पूरी सरकार उसकी बातों से खुद को बचाते हुए नजर आने लगी।

हालांकि बाद में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया लेकिन चार्जशीट में केवल घरेलू हिंसा का जिक्र किया गया, बलात्कार का नहीं। पुलिस का रवैया, उसके माता–पिता और समुदाय का रवैया बताता है कि कैसे आज भी औरतों को किसी और की संपत्ति के तौर पर देखा जाता है।

''मेरे इंकार का उसके लिए कोई मतलब नहीं''

जब सामुदायिक संवाददाता ने रीता से पूछा कि उसने कैसे विरोध किया, तो रीता ने बताया कि उसका पति उसे पीटता था और जान से मारने की धमकी देता था। वो कोशिश करती कि बच्चे उसके साथ ही कमरे में सोये लेकिन उसका पति बच्चों को उसके साथ सोने नहीं देता था। कभी–कभी जब वो बच्चों को अपने साथ सुलाने की जिद पर अड़ जाती तो वो बच्चों के सामने ही उसका बलात्कार करता।

''मारपीट की ऐसी धमकियों के बीच वो चीख कैसे सकती है?''

रीता पूछती है कि उसके पति की धमकियों को अगर छोड़ भी दिया जाए तो क्या कोई उसकी चीख सुनकर उसकी मदद को आता? पुलिस ने पहले तो कहा कि वे उनके वैवाहिक विवाद में दखल नहीं देना चाहते, लेकिन फिर बाद में सिर्फ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कर लिया। और उसके माता–पिता, जिनसे उसे सबसे ज्यादा मदद मिलने की उम्मीद थी, उन्होंने तो साफ कह दिया कि इस मामले से उनका कोई लेना–देना नहीं है।

मैरिटल रेप के मामले में पीड़िता की मदद के लिए आगे आने

के बजाय, परिवार और राज्य जैसी संस्थाएं स्थिति को और बदतर बना देती हैं। भाग्य से, रीता के ससुराल वालों ने उसका साथ दिया, और उसे पति से अलग रहने के लिए उसका हौसला बढ़ाया। मारपीट और हिंसा बढ़ने के बाद उन्होंने रीता को अपने साथ ही रखा। उसका पति अभी जेल में है।

रीता को पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से रोकने में न केवल सामाजिक लांछन एक बड़ी बाधा बनी बल्कि मैरिटल रेप को अपराध मानने वाले किसी कानून का न होना भी एक बड़ा अवरोध था। विवाह को एक धार्मिक अनुष्ठान मानने और परिवार को संरक्षित करने वाली संस्था मानने का विश्वास इतना गहरा है कि वह लोकल थाने से लेकर केंद्रीय मंत्री तक और ज्यादातर घरों में हावी है।

सीईडीएडब्ल्यू (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) और जस्टिस वर्मा कमेटी जैसी राष्ट्रीय स्तर की समितियों तक सभी ने आईपीसी की धारा 375 से मैरिटल रेप के अपवाद को हटाने की अनुशंसा की है। ये वो धारा है जो रेप को परिभाषित करती है। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने इस बारे में पूछे जाने पर पहले तो कहा कि मैरिटल रेप एक ऐसी अवधारणा है जो भारत में लागू ही नहीं होती लेकिन फिर बाद में स्वीकार किया कि सरकार इसे अपराध घोषित करने से पीछे हट रही है।

साभार: feminisminindia.com

विरोध

#MarriageStrike

आखिर विरोध में क्यों उतरे पुरुष संगठन

मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने और उसके खिलाफ कानून बनाने की नारीवादी संगठनों की जद्दोजहद के बीच एक लड़ाई और चल रही है जो विवाह के बाद सेक्स को बलात्कार की श्रेणी में नहीं लाने देने की है। ये ठीक है कि बदलते समय और संदर्भ में इनकी दलीलों को पूरी तरह दरकिनार नहीं किया जा सकता है लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है ये वर्ग 'सहमति' और 'जबर्दस्ती' की पतली सी रेखा को न तो समझ रहा है और न ही उसका सम्मान कर रहा है। पिछले दिनों देश की अदालत में वैवाहिक बलात्कार का मामला लाए जाने के बाद पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाने के कृत्य को अपराध घोषित करने को लेकर बहस तेज हो गई है। जहां इसके पक्ष में स्त्री संगठनों ने अपना अभियान तेज कर दिया है वहीं इसके विरोध में भी एक समुदाय सामने आ गया है जो इसलिए चिंतित है कि अगर मैरिटल रेप अपराध बना तो इसका दुरुपयोग पतियों के खिलाफ किया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर पुरुषों के एक वर्ग ने #MarriageStrike से एक कैंपेन की शुरुआत की है जिसे तेजी से समर्थन मिल रहा है।

असल में, 'Save Indian Family Foundation' नाम के एक पुरुष अधिकारवादी संगठन ने सबसे पहले इस मुद्दे को ट्विटर पर उठाया था। #MarriageStrike को 60,000 से ज्यादा बार रीट्वीट किया जा चुका है। इस वर्ग के पुरुषों की चिंता इस कानून के दुरुपयोग को लेकर हैं।

देखा जाए तो ये बात किसी हद तक सही भी है कि पुरुषों के खिलाफ बड़ी संख्या में फर्जी मुकदमे महिलाओं द्वारा दर्ज करवाए जाते हैं। इन मुकदमों की आंच में न सिर्फ पुरुषों की जिंदगी बल्कि उनका करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और परिवार भी झुलस जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साल 2019 के आंकड़े इस बात की तस्दीक भी करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में हर 30 मिनट में 1 पुरुष पर रेप का फर्जी आरोप लगाया गया है। 2019 में 1,25,657 से अधिक पुरुषों को इन आरोपों से बरी कर दिया गया था। ये संख्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये वर्कप्लेस पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न के तहत दर्ज होने वाले संयुक्त मामलों से तीन गुना अधिक है। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार, साल 2017 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 3,42,197 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। जबकि दोषी पुरुषों की संख्या महज 39,529 थी। वहीं 2018 में 3,10,999 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया था। जबकि दोषी पाए जाने वाले पुरुष सिर्फ 38,923 थे। साल 2019 में, 3,28,467 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दोषी पाए गए पुरुष सिर्फ 35,202 थे। अगर एनसीआरबी के डेटा को ही आधार मान लिया जाए तो, देश में हर 6 मिनट में 1 पुरुष को दहेज उत्पीड़न के फर्जी मामले में फंसाया जाता है। एक अन्य डेटा बताता है, कि 27 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए राजेश कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के बाद से धारा 498 ए के मामलों में 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एनसीआरबी डेटा के अनुसार, साल 2019 में हत्या के मामलों में 4077 महिलाएं गिरफ्तार हुईं। दंगे के आरोप में 12,951 महिलाएं गिरफ्तार हुईं। चोरी के आरोप में 4843 महिलाएं गिरफ्तार हुईं, जबकि 498ए या दहेज उत्पीड़न के आरोप में 26,307 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है।

किसी भी कानून का उपयोग और दुरुपयोग होना कोई अनोखी बात नहीं है। जरूरत है तो इस बात की कि पीड़ित को न्याय मिले और अपराधी को सजा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वैवाहिक बलात्कार पर दायर की गई याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए पूछा था, ''क्या एक पत्नी को निचले पायदान पर रखा जा सकता है या वो एक सेक्सवर्कर की तुलना में कम मजबूत हो सकती है, जिसे किसी भी समय पर ना कहने का अधिकार है?'' अदालत की ये टिप्पणी तब आई है, जब उन्हें बताया गया कि ''कुछ परिस्थितियों'' को बलात्कार के दायरे से ''दो लोगों की आपसी संबंधों की वजह'' से बाहर करना समस्या भरा है और बलात्कार कानून में सेक्स वर्कर को दी गई सुरक्षा के आलोक में वैवाहिक बलात्कार के अपवाद की जांच की जा सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने कहा, ''शादी का मतलब ये नहीं है कि महिला हर समय तैयार, इच्छुक और सहमत (शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए) है। आदमी को यह साबित करना होगा कि वह भी शारीरिक संबंध बनाने की चाहत रखती थी।" कोर्ट ने आगे कहा कि, ''ये कहना गलत है कि रेप के लिए (शारी. रिक) बल प्रयोग जरूरी है। बलात्कार में चोटों के निशान मिलना जरूरी नहीं है। आज रेप की परिभाषा बिल्कुल अलग है।''

तमाशा

औरत किसी की अमानत नहीं

मर्द जागीरदार है, होगा
लेकिन औरत कोई जमीन नहीं है।।

औरत को समाज ने सिर्फ एक तमाशागर बना दिया है। बचपन से बुढ़ापे तक बस वो अपनी जिंदगी के तमाशे को देखती रहती है। क्या पढ़ना है, किससे बात करनी है, किससे शादी करनी है, कैसे सपने देखने हैं, ये सब फैसले लेने का हक औरत को नहीं है। कोई बिना सपना देखे, बिना पढ़े, बिना प्रेम के तो जी भी ले, पर क्या कोई बिना अपने शरीर के जी सकता है।

कैसा लगता होगा जब आपके शरीर पर अपना ही हक न हो? हमारे शरीर पर कोई चींटी भी रेंगती हो तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। फिर जबर्दस्ती की छुअन कैसे बर्दाश्त होती होगी? शादी हमारे समाज का अभिन्न अंग है। शादी ही समाज की नींव है। अगर विवाह नहीं हो तो समाज के लोग कहां से आएंगे। समाज के लोगों ने सबकी सहूलियत के लिए कानून बनाया लेकिन 'सामाजिक प्राणी' को पैदा करने वाली की सहूलियत का ध्यान किसी ने नहीं रखा। बचपन से देखा है गांव में ज्योंही कोई लड़की यौवन अवस्था में कदम रखती थी; खुद को सजाने–संवारने पर ध्यान देने लगती थी तो दादी, बुआ, पड़ोसी, रिश्तेदार कहते ''लड़की आजकल अपनी दिखावट पर ध्यान देने लगी है इसे ब्याह दो। जिसकी अमानत है इज्जत से उसके घर जाए।''

अनीता भारद्वाज

(लेखक जानी–मानी विचारक, शिक्षिका, ब्लॉगर और कवयित्री हैं)

उस समय वहम होता था कि लड़की को शादी के बाद किसी खजाने की तरह प्यार मिलता होगा, क्योंकि जिसकी अमानत है वो तो उसे बहुत मान–सम्मान के साथ रखता होगा, उसकी सारी खुशियां उसे मिलती होंगी। बड़े होने के बाद पता चला असल में अमानत का मतलब लड़की से नहीं था, लड़की के शरीर से था। लड़के को समझाया जाता, उसके दोस्तों, भाइयों द्वारा–अब ये तेरी है, जैसे मर्जी रख।

पुरुष को गुस्सा निकालना हो, चिढ़ निकालनी हो, अपने दिल के अरमान निकालने हों, वो अपनी अमानत पर अपनी मर्जी से हक जताता है। उसे उस लड़की की हामी जरूरी लगती ही नहीं, जो उसकी अमानत लिए घूम रही है। उससे भी बुरा ये कि कभी किसी लड़की ने पुरुष को हामी का मतलब समझाना भी चाहा तो उसे गालियां, मारपीट से और बुरी तरह नोंचा गया। स्वामी हूं तेरा, पति परमेश्वर हूं; तू मेरी सेवा के लिए है। ये शरीर मेरे बिना किस काम का? ये सब बातें सुनाकर बस चुप करा दिया जाता है। नोंचने वाला चूंकि उसकी अमानत का हकदार है इसलिए कभी किसी ने इस मुद्दे के बीच आने की कोशिश भी नहीं की।

अभी दिल्ली हाई कोर्ट में ''मैरिटल रेप'' को एक जुर्म मानने पर बहस चल रही है। एक न्यायाधीश इसके पक्ष में है और एक विपक्ष में। अब मामला तीन न्यायाधीशों की बेंच के अधीन चला गया है। हो सकता है वहां भी समाधान न मिले, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। ये सब बहस और इससे जुड़ी खबर सुनकर एक ही बात याद आती है– ''जिसके पांव न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई।'' ऐसा इसलिए कि जिनके साथ मैरिटल रेप होता ही नहीं वो कैसे फैसला कर सकते हैं कि ये सही है या गलत। जिस्म पर आई चोट कितना दर्द कर रही है। कमरे से बाहर आने पर जो नजरें आपको देखकर मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी चीख सुनी हैं। कैसा लगता है उनकी नजरें देखकर। कितनी बेबसी महसूस होती है? ये बस वो ही बता सकता है जिसने ये सब महसूस किया है। फिर इसे जुर्म माना जाए या नहीं इसका फैसला भी उन्हीं को करने दो जो इसे अपनी जिंदगी में झेल चुकी हैं।

शरीर मेरा, अधिकार उसका;
प्रसव पीड़ा मेरी, परिवार उसका।

हमारे परिवार संस्कारी हैं। मां अपनी बेटी को सेक्स एजुकेशन नहीं देतीं। वो अपने पति को सीधे तौर पर अपना शरीर सौंपने को भी नहीं कहतीं, बल्कि चाशनी की चादर चढ़ाकर सिखाया जाता है। ''अपने पति को अपने वश में करना आना चाहिए नहीं तो दूसरी औरत बहला लेगी। ये शरीर हमें अपने स्वामी को सौंपने के लिए मिला है। हम अधूरी हैं पति के बिना। मां बनना ही हमें संपूर्ण करता है। मां बनने के लिए तो पति को उसकी अमानत सौंपनी ही होगी।'' इस तरह की बातें करके इस पूरी प्रक्रिया में जबर्दस्ती की प्रक्रिया पर मखमल का पर्दा डाल दिया जाता है। जो इसके खिलाफ आवाज उठाती हैं, उन्हें घर से बहिष्कृत कर देते हैं। ऐसी औरत को समाज के लिए खतरा बताया जाता है।

मेरे अनुसार, चाहे स्त्री हो या पुरुष, अगर उसके पास अपना विवेक है तो विवाह नामक रिश्ते में हर फैसले की साझेदारी होनी चाहिए। जीवनसाथी साझेदार होता है न कि मालिक। जब कोई खुद को मालिक समझ ले वहां फिर रिश्ता निभता नहीं बस ढोया जाता है। किसी की मर्जी के बिना उसे छूना भी अपराध है। फिर नोंचना तो जघन्य अपराध की श्रेणी में आना ही चाहिए।

बिहार सरकार

महिलाओं और किशोरियों का साथी 181

बाल विवाह, दहेज, घरेलू,
यौन, मानसिक एवं शारीरिक हिंसा
कार्यस्थल पर उत्पीड़न अथवा भेदभाव
या किसी भी प्रकार की समस्या के
बारे में बेझिझक **181 हेल्पलाइन**
पर कॉल करें।

किसी भी फोन या मोबाईल से निःशुल्क 181 डायल करें।

support.wdc@bihar.gov.in +91 9955998054 www.wdc.bih.nic.in

महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी

www.emanjari.com

मंजरी

स्त्री के मन की

ECO NEEDS FOUNDATION
MAY ALL BE HAPPY

THE OFFSETTERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
design, pre-press and color offset printing

We Care
I S
INTERNATIONAL SCHOOL

takshila
connect to the universe

bansal TUTORIALS
FOR CLASS : VI, VII, VIII, IX, X, XI & XII, IIT-JEE (MAINS & ADVANCED) & MEDICAL ASPIRANTS

COMFED
PRIDE OF BIHAR
Sudha

केनरा बैंक
Canara Bank

SAGE 50

GYAN GANGA
ज्ञानम् भारः क्रियां विना

पावरग्रिड

SULABH

पथ निर्माण निदेशालय

Limagrain

सेवा हि धर्मः
1952
पटना नगरपालिका
CITY OF PATNA

महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार
समाज कल्याण विभाग

आप हमें ई–मेल करें

आप हमें अपने लेख और पत्र ई–मेल भी कर सकते हैं। इस विषय में विशेष जानकारी equityasia@gmail.com पर ली जा सकती है। प्रकाशक की अनुमति के बिना पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सामग्री का अन्यत्र इस्तेमाल करना कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा।

© : इक्विटी फाउंडेशन